जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 265 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

गुरुवार को दोपहर में राहुल गांधी बॉस्टन के लिए रवाना हो गये

राहुल गांधी बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सम्बोधित करेंगे, प्रवासी भारतीयों व फ्रैन्ड्स ऑफ कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करेंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। राहुल गांधी, जो दिल्ली में यथासंभव कम ही समय गुजारते हैं, गुरुवार शाम अमेरिका के बोस्टन शहर के लिये रवाना हो गये, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार, 19 अप्रैल को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें नैशनल हैरल्ड केस में राहुल तथा सोनिया गांधी के खिलाफ पेश की गई ईडी की चार्जशीट के विरोध के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाना है।

खड़गे ने मीटिंग में सभी एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारी, सचिव, अग्रणी संगठनों के प्रमुख तथा विभाग प्रमुख बुलाये हैं।

खड़गे द्वारा बुलाई गई पिछली मीटिंग निराशाजनक रही थी, क्योंकि उसमें कई लोग उपस्थित नहीं हुये थे। अनुपस्थित रहे नेताओं में एआईसीसी महासचिव तथा संगठन-प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल थे, जो राहुल गांधी के दायें हाथ तथा उनके पीए की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिये बहुत से कांग्रेस नेता उन्हें असली कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्णय वे ही लेते हैं तथा खड़गे के निर्णयों को उलट भी देते हैं।

- राहुल की यह अमेरिका यात्रा उल्लेखनीय इसलिए है, क्योंकि शनिवार को कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे ने राज्यों के प्रभारी, महासचिवों, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों आदि की बैठक बुला रखी है।
- इस बैठक में यह निर्णय लिया जायेगा नैशनल हैरल्ड के मसले में, सोनिया गांधी व राहुल गांधी को जो नोटिस दिया गया है, उसके संदर्भ में कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाये।
- बैठक बुलाना जरुरी इसलिए हो गया क्योंकि पिछली बार विरोध के लिए जो प्रदर्शन आयोजित किये गये थे, वे काफी ''फ्लॉप'' रहे थे। तथा, कई दिग्गज नेता अनुपस्थित रहे थे। महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, वे गुजरात में राहुल गांधी के साथ थे।
- अतः यह अजीबोगरीब बात है, कि, सोनिया गांधी व राहुल गाँधी को मजबूती देने का कार्यक्रम तय करने के लिए आयोजित बैठक में स्वयं राहुल गांधी उपस्थित नहीं होंगे।

यह मीटिंग राहुल गांधी की गैरहाजिरी में ही होगी।

दिलचस्प बात यह है कि सोनिया एवं राहुल गांधी को जमानत लेने के लिए राउज़ एवेन्यु कोर्ट में व्यक्तिशः उपस्थित होना पड़ेगा तथा 25 अप्रैल को शुरु हो रही केस की सुनवाई के बाद कुछ भी हो सकता है।

राहुल गांधी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, वे वहाँ रहने वाले भारतीयों तथा कांग्रेस के शुभचिन्तकों के साथ ''मीट एण्ड ग्रीट'' कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रवेश टिकट से होगा।

ईडी की कार्यवाही के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का अगला राउन्ड संभवतः 25 अप्रैल को होगा, जिस दिन केस की सुनवाई शुरु होनी है। आशा की जा रही है कि इस प्रदर्शन का आयोजन एवं स्वरूप काफी व्यवस्थित होगा तथा इसमें पहले से अधिक नेता शामिल होंगे।

प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि आखिर ईडी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं, जो ईडी के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब तक किसे व कितनी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति दी गई

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृति योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक किन-किन व्यक्तियों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्य सरकार की ओर से दी गई है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि छात्रवृत्ति देते समय छात्रों की आर्थिक स्थिति क्या थी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश कुमारी मनजीत देवड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है।

- हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को शपथ पत्र के द्वारा जानकारी देने के निर्देश दिये।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन कराने के लिए राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृति योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी मापदंड पूरा करने पर याचिकाकर्ता का चयन किया गया। वह करीब डेढ साल से ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक उसे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। जिसके चलते उसका प्रवेश रद्द हो सकता है और उसका वीज़ा भी समाप्त किया जा सकता है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से योजना की संपूर्ण जानकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''रॉ'' के पूर्व मुखिया दुलत साहब की किताब से काफी हंगामा हुआ

किताब में लिखा है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, दिल्ली की भाजपा सरकार के साथ काम करने को तैयार थे, तथा अगर जरूरत होती तो आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में मतदान भी करने में नहीं हिचकिचाते

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत, जो अब्दुल्ला परिवार के नज़दीक माने जाते हैं, ने अपने इस दावे से नैशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने दिग्गज डॉ. फारुक अब्दुल्ला को संकट में डाल दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ''दिल्ली की भाजपा सरकार के साथ काम करने की इच्छा को लेकर पूरी तरह खुले हुये थे'' तथा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक को पारित कराने में मदद तक कर सकते थे।

दुलत की नई पुस्तक ''द चीफ मिनिस्टर एण्ड द स्पाय'' में किये गये रहस्योद्घाटनों ने एक नया और बड़ा राजनैतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इस पुस्तक ने डॉ. अब्दुल्ला के चेहरे पर 'बचे हुये अंतिम मुखौटे को भी हटा'' दिया है। पीडीपी नेता तथा विधायक वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा, ''वो आग उगलने वाले भाषण, वो नाटकीय आक्रोश, भाजपा से लड़ने की सावधानी से गढ़ी गई वो छवि- सब कुछ ड्रामा था। वस्तुतः वे जम्मू-कश्मीर की जनता के अशक्तीकरण के मूक सहयोगी थे।''

- दुलत कई वर्षों तक कश्मीर में भारत सरकार की इंटैलिजैंस एजेन्सी 'रॉ' के मुखिया के रूप में कार्यरत रहे थे, तथा डॉ. फारुख अब्दुल्ला के, शेख अब्दुल्ला का उत्तराधिकारी बनने से लेकर अब तक, बहुत नजदीकी मित्र रहे हैं।
- उनका (दुलत साहब का) शुरू से मानना है कि, डॉ. फारुख अब्दुल्ला, अपने पिता कि भांति पूर्णतया भारत के प्रबलतम समर्थक रहे हैं। पर शेख अब्दुल्ला व डॉ. फारूख में एक प्रमुख फर्क था। शेख अब्दुल्ला, कई मसलों पर दिल्ली की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आन्दोलनरत भी रहे, तथा कई साल जेल में भी रहे, पर डॉ. फारुख अब्दुल्ला सदा केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर ही काम करने में विश्वास रखते रहे हैं।
- शायद, दुलत साहब अपनी किताब में डॉ. अब्दुल्ला के इस व्यक्तित्व को भी प्रस्तुत करने जा रहे थे।

डॉ. अब्दुल्ला ने इस पुस्तक के लेखक, अपने पूर्व मित्र तथा जासूस से स्वयं को दूर कर लिया है तथा इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

1950 के दशक के ''हिन्दी-चीनी भाई-भाई'' के नारे को दोहराना चाहता है चीन

पर, 1950 में भारत भोला, आदर्शवादी सोच से ओत-प्रोत, नया देश था, पर अब परस्थितियां भी बहुत बदल गई हैं

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 17 अप्रेल। यह एक ऐसा कूटनीतिक संकेत है जो प्रतीकात्मकता, सही समय और राजनीतिक इरादे से भरा हुआ है। भारत की तरफ चीन की हालिया पहल, जैसे वीज़ा प्रक्रियाओं को आसान बनाना, भारतीय पर्यटकों के लिए शुल्क में कटौती और सांस्कृतिक निमंत्रण देना आदि के बारे में कहा जा रहा है कि ये पैन्डैमिक के बाद के सामान्य आर्थिक प्रयास हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन तथा लोगों के बीच सम्पर्क को बढ़ावा देना है, लेकिन सतह से थोड़ा नीचे जाएं तो स्पष्ट होता है कि इन पहलों में उस बीते युग की गूंज है, जब भारत और चीन ने अपने आपको ''हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे के तहत, एशियाई भाईचारे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी।

1950 के दशक की शुरूआत में उपनिवेशी प्रभुत्व तथा आंतरिक उथल-पुथल से हाल ही में मुक्त हुए दोनों देशों ने एशियाई एकजुटता का भव्य प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल सीमाएं पार कर रहे थे, बड़े-बड़े समारोहों में व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू तथा चीनी प्रधानमंत्री चाओ एनलाइ ने मिलकर ऐसे समय पर एशियाई पुनर्जागरण की एक कल्पना को प्रस्तुत किया, जब शीत युद्ध ने दुनिया को वैचारिक खेमों में बांट रखा था।

कुछ समय के लिए, दिल्ली और बीजिंग ने इस विचार को आगे बढ़ाया कि एशिया की प्राचीन सभ्यताएं पश्चिमी प्रभुत्व से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र दिशा तय कर सकती हैं। वर्तमान में, पर्यटन तथा संस्कृति की भाषा में लपेट कर संबंध बढ़ाने के जो इशारे किए जा रहे हैं, वे उसी ऐतिहासिक रणनीति से प्रेरित लगते हैं, हालांकि आज का भू-राजनीतिक परिदृश्य कहीं अधिक जटिल, प्रतिस्पर्धात्मक और संघर्षपूर्ण है।

तथापि, 1950 के दशक की तरह ही आज भी ''सॉफ्ट डिप्लॉमसी'' के साथ-साथ गहरे रणनीतिक अविश्वास भी बने हुए हैं।

आज की तरह, उस समय भी सीमा संबंधी मुद्दे अनसुलझे ही थे तथा अंदर ही अंदर सुलगता तनाव 1962 के छोटे, लेकिन कटु युद्ध में फूट पड़ा। आज, पर्यटन और सांस्कृतिक कूटनीति में अचानक आई गर्माहट के बावजूद,

- अतः क्या पुराना नारा चल पायेगा, चाहे ''पैकेजिंग'' कितनी भी बदल लो।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपमुख्यमंत्री बैरवा को मारने की धमकी देने वालों को जमानत नहीं

जयपुर, 17 अप्रैल। सत्र न्यायालय, जयपुर महानगर, प्रथम, ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी वसीम खान, मोहम्मद अशरफ और जुनैद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि जेल में रहते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देना, सुरक्षा को चुनौती देने के समान है। आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और समाज को आतंकित करने वाले हैं। यदि इन्हें जमानत दी गई तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन्हें जमानत देना उचित नहीं है।

- अदालत ने जेल में रहते धमकी देने को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती देना माना।

जमानत अर्जियों में कहा गया कि उन्होंने न तो पुलिस कंट्रोल रूम में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित, वक्फ विधेयक पर ''स्टे'' नहीं दिया

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, संकेत दिये थे, कि वह विधेयक के कुछ प्रावधानों को ''स्टे'' करने की सोच रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिन पहले ऐसे संकेत दिये थे कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे दे सकता है, लेकिन गुरुवार को न्यायालय ने वक्फ कानून में हाल ही में किये गये कुछ बदलावों पर स्टे नहीं दिया, क्योंकि केन्द्र ने अदालत को आश्वासन दे दिया कि वक्फ बोर्डों तथा काउंसिलों में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूज़र के रूप में घोषित या रजिस्टर्ड सम्पत्तियों को निर्दिष्ट (डिनोटिफाई) नहीं किया जायेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बैंच ने केन्द्र की ओर से उपस्थित हुये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आशय के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया।

संक्षिप्त-सी सुनवाई के बाद, बैंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार तथा के.वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं, ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ''प्रतिवादी एक छोटा-सा जवाब देना चाहेंगे, जो सात दिन के अन्दर पेश कर दिया जायेगा।'' ''उन्होंने (मेहता) आगे कहा कि संशोधित प्रावधानों के धारा 9 तथा 14 के तहत काउंसिल तथा बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक, जिसमें वक्फ बाय यूज़र भी शामिल है, चाहे अधिसूचना के जरिये घोषित किया गया हो, या रजिस्ट्रेशन द्वारा, चिन्हित नहीं किया जायेगा, और न उसका स्वरूप या प्रकार ही बदला जायेगा। हमने यह कथन रिकॉर्ड पर ले लिया है। सात दिन के अन्दर, प्रतिवादियों की ओर से जवाब/काउन्टर ऐफिडेविट पेश हो जाना चाहिये। उसके बाद, पाँच दिन के अन्दर उसका जवाब पेश हो जाना चाहिये।''

बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे लगा सकता है इसमें वे प्रावधान शामिल हैं, जो वक्फ बाय यूज़र्स, वक्फ बोर्ड और काउन्सिल के गैर मुस्लिमों को

- सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों के सम्मुख तर्क रखा कि, ''प्राइमा फेसिया'' रीडिंग के बाद, संशोधित वक्फ विधेयक के प्रावधानों को ''स्टे'' करना उचित नहीं होगा।
- मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने यह तर्क स्वीकार करते हुए, पर यह वादा भी मांगा सरकार से कि वक्फ बोर्ड में नवनियुक्तियां, वक्फ प्रॉपर्टी को चिन्हित करना, आदि कार्यवाही नहीं होगी सरकार की ओर से।
- सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर कि, सात दिनों में सरकार पूरी जानकारी इकट्ठी करके अपना जवाब पेश करेगी, तथा तब तक वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का ''स्टे'' नहीं दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जल्द शुरु होगी कैलाश-मानसरोवर यात्रा

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर जारी तकनीकी बातचीत पूरी हो गई है और जल्द ही सरकार यात्रा की शर्तें और अन्य विवरण सार्वजनिक करेगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जल्दी ही एक नोटिस जारी करेगी। दोनों देशों के बीच यात्रा के तौर तरीकों और शर्तों आदि को लेकर जारी तकनीकी बातचीत में सहमति बन गई है। यह पूछे जाने पर कि लद्दाख में डेमचोक के रास्ते से कैलाश मानसरोवर

- भारत और चीन के बीच इस संबंध में चल रही तकनीकी वार्ता पूरी हो गई है। जल्दी ही नोटिस जारी कर घोषणा की जा सकती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प प्रशासन की ''रैसिप्रोकल'' आक्रामक टैरिफ के जनक एक हारवर्ड प्रशिक्षित इकोनॉमिस्ट नवारो हैं

उन्होंने आज से नहीं, शुरू से ट्रम्प के कानों में ''इकोनॉमिक नैशनलिज़्म'' का नारा डाला है, जो अब ट्रम्प प्रशासन का मूल दिशा निर्धारित करने वाला दर्शन (फिलोसॉफी) बन गया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस महीने के आरम्भ में रैसिप्रोकल टैरिफ नीति की शुरुआत की, तो वैश्विक बाज़ारों में कई व्यापारिक साझेदार देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर 10 से 125 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई, जिसका तत्काल विरोध हुआ और बाज़ारों में उथल-पुथल मच गई। लेकिन इस दुस्साहसी कदम के पीछे जो नाम सबसे प्रमुख था, वह था पीटर नवारो, जो लम्बे समय से व्यापारिक संरक्षणवाद का पर्याय बना हुआ है।

ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नवारो, ट्रंप के आक्रामक व्यापार हस्तक्षेपों के मुख्य शिल्पकार रहे हैं। प्रशासन की व्यापार नीतियों पर उनका गहरा प्रभाव न तो नया था और न ही संयोगवश। हार्वर्ड-प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नवारो वर्षों से आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो वैश्विक व्यापार समझौतों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। चीन को आर्थिक खतरे के रूप में देखने की उनकी धारणा ने उन्हें ट्रंप की आर्थिक टीम में ऊँचे स्थान तक पहुँचाया, जहाँ उनकी संरक्षणवादी नीतियों ने अमेरिकी व्यापार संबंधों में बड़े बदलाव किए।

नवारो की विचारधारा की जड़ें उनके 2011 की किताब ''डेथ बाय चाइना'' से जुड़ी हैं, जिसमें उन्होंने चीन की व्यापार नीतियों को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। इस किताब ने उन्हें आर्थिक राष्ट्रवादियों के बीच लोकप्रिय बना दिया, लेकिन मुख्यधारा के कई अर्थशास्त्रियों ने इसे एकतरफा और अतिरंजित करार दिया। उनका कहना था कि नवारो के तर्कों में डेटा की कमी है और उनके तर्क संतुलित विश्लेषण की बजाय डर फैलाने वाली भाषा पर आधारित हैं।

इसके बावजूद, ट्रम्प सरकार की ट्रेड पॉलिसी को आकार देने में नवारो की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उनके मार्गदर्शन में ''अमेरिका फर्स्ट'' आधारित आर्थिक एजेंडा को एक स्वाभाविक सहयोगी मिला। नवारो का मूल दर्शन, जो व्यापारिक घाटा कम करने, विदेशी व्यापार में जोड़-तोड़ का मुकाबला करने और अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करने पर आधारित है, ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्ष 2025 में घोषित साहसी नीति का वैचारिक आधार बना।

अब यह सिर्फ एकैडमिक रुख नहीं रहा है। नवारो ने न केवल टैरिफ का समर्थन किया। बल्कि इस टैरिफ नीति के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी और इसके पक्ष में बहुत ज्यादा मुखर भी थे। फरवरी 2025 में एक इंटरव्यू में नवारो ने इसे अन्यायपूर्ण व्यापार प्रक्रिया के खिलाफ सुधारात्मक उपाय बताते

- नवारो का चिन्तन है, कि, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में ''टैरिफ'' की भूमिका अनुचित व्यापारिक तौर तरीकों को रोकने में बहुत महत्व रखती है।
- साथ ही नवारो के चिन्तन के अनुसार टैरिफ लगाने से सरकार की आमदनी बढ़ती है।
- नवारो, अपनी इस सोच के कारण, ट्रम्प प्रशासन में काफी लोकप्रिय हैं, तथा ट्रम्प प्रशासन के इकॉनमिस्ट नैशनललिस्ट उन्हें अपना वैचारिक गुरू मानते हैं।
- पर, मुख्यधारा के इकॉनमिस्ट को नवारो का सोच बहुत ''सिम्पलिस्टिक'' (साधारण व भावनाओं से प्रेरित) लगा, तर्क व आंकडों पर आधारित कम नज़र आया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजमेर दरगाह विवाद पर सुनवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

जयपुर, 17 अप्रैल। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर अजमेर की निचली अदालत में पेश दावे पर सुनवाई रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। खादिमों की संस्था, अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दायर इस याचिका पर आज जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने एक सप्ताह के लिए सुनवाई

- गत नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को पूजा स्थल विवाद पर कार्यवाही जारी नहीं रखने के निर्देश दिये थे। दिसम्बर में अदालत को इसकी जानकारी भी दे दी गई थी पर निचली अदालत ने कार्यवाही जारी रखी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

जो गरीबों पर दया करता है, वह अपने कार्य से ईश्वर को ऋणी बनाता है। –बाइबल

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधानिकता पर सुनवाई प्रारंभ

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1(2) के अनुसार अनुसार भारत सरकार ने दिनांक 08.04.2025 से इस अधिनियम को देश में लागू कर दिया है। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है।

यह अधिनियम 2025 को संसद द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पारित किया था और उसे भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 05.04.2025 को स्वीकृति (Assent) प्रदान की थी।

इस वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को 100 से अधिक रिट् याचिकाओं में चुनौती दी गई है। 6 राज्यों ने इसे संवैधानिक माना है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में यह कहा गया है कि इसके प्रावधान 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में इस वक्फ अधिनियम को Religious Autonomy पर असंवैधानिक Assault की संज्ञा दी है। एक अन्य पिटीशन में यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वत: भी उस कानून को निरस्त करने का अधिकार हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खंडित करते हैं। यह भी प्रश्न उठाया है कि क्या पूर्ववर्ती मान्य नजीरों के विरूद्ध हैं? एक अन्य पिटीशन में चुनौती का आधार यह कहा गया है कि इससे Muslim Community अपनी ही सम्पत्ति से बेदखल कर दी जावेगी। यह पिटीशन केरल Islamic Clerics Body की पिटीशन में कहा गया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अधिनियम को उपबन्धों की वैधानिक चुनौती दी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस अधिनियम की वैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 26, 29, 30 के विरूद्ध होने के कारण इसे चुनौती दी गई है। सब समान हैं, यह संविधान का सार है; परन्तु कुछ पिटीशनर का कहना है कि समानता है इस अधिकार को गोंण कर दिया है। Right to Manage the Religious Affairs का आधारभूत उद्घोष जो Article 26 में है उनका स्पष्ट अतिरेक हुआ है। अधिकांश पिटीशनस् में यह कहा गया है Muslim Community के साथ भेदभाव का यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना चक्र है।

दिनांक 16.04.2025 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधानिकता को चुनौदी देने वाली 9 पिटीशनस् की सुनवाई के हेतु सूचीबद्ध किया है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय संजीव खन्ना, जस्टिस के वी विश्वनाथन व जस्टिस संजय कुमार की खण्डपीठ करेगी। उक्त 9 पिटीशनस् में वे पिटीशन्स हैं जिनमें एआईएमआईएम एमपी असादुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आप एमएलए अमानातुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमियत उलेमा-ए-हिन्द प्रेसीडेन्ट अर्सशद मदानी, समस्थ केरल जमियत उलेमा, अन्जुम कादरी, तइय्यर खां सलमानी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद फजलुर्रहीम आदि हैं। इनका शीर्षक है असादुद्दीन ओवैसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WP (C) No. 209/2025 में ये कनेक्टेड मेटर्स हैं।

अभी तक जो पिटीशनस् प्रस्तुत हुई हैं उनमें निम्नलिखित आपत्तियां वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। कुछ पिटीशनस् ऐसी भी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि संशोधन अधिनियम, 2025 में तामिलनाडु के 50 लाख मुसलमानों व 20 करोड़ उन मुसलमानों के अधिकार कंठित हो रहे हैं जो देश के अन्य भागों में रहते हैं अत: तामिलनाडु असेम्बली ने यह प्रार्थना भारत सरकार से की है कि कानून को विद्ड्रो किया जावे। कुछ का तो यह भी कहना है कि वक्फ संशोधन बिल की वैधानिकता के बावत पर्याप्त सुनवाई का अवसर न तो जेपीसी ने दिया और न ही संसद ने दिया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जो हंगामा हुआ है उससे स्पष्ट है। राज्य की राजनीति केन्द्र की राजनीति को चुनौती देने जा रही है। धर्म राजनीति पर हावी होने जा रहा है।

एक ओर भाजपा ने देश भर में गांव से लेकर शहर, चौड़ी सड़क से लेकर सकड़ी गली में भी जन जागृति आन्दोलन की घोषणा की है तो दूसरी ओर आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश व्यापी आन्दोलन करने की घोषणा की है। बोर्ड देश भर में प्रचार करेगा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 इस्लामिक परम्परा, धार्मिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर अक्रमण है, जिसे रोका जावे। दोनों समुदायों का यह आन्दोलन कब क्या विकट रूप ले ले कहना कठिन है।

कानून रूप से जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती दी गई हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 26, 300ए के विरूद्ध होने से असंवैधानिक हैं।

2) जान बूझकर मुस्लिम कॉम्यूनिटी को अपनी ही सम्पत्ति के प्रयोग से, उसके प्रबन्ध से रोका गया है। वक्फ के सामान्य शाब्दिक अर्थ के विपरीत, यह प्रयास किया गया है, कौन सम्पत्ति डोनेट कर सकता है। प्रश्न उठाया गया है भारतीय न्यायिक जुडिशियरी द्वारा स्थापित प्रक्रिया Waqf by user को समाप्त किये जाने के हेतु ही वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लाया गया है।

3) कुछ पिटीशनर्स का कथन है कि वक्फ बिल की प्रक्रिया में जेपीसी ने सभी मान्य Parliamentary Procedure का उल्लंघन किया गया है। जेपीसी ने आपत्तिकर्त्ताओं को सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया और प्राकृति न्याय के सिद्धान्तों का ब्रीच हुआ है। महुआ मोइत्रा एमपी की पिटीशन में इस बावत विशद चर्चा है और आपत्ति की है कि सही प्रक्रिया न अपनाने से भारत के नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाया है।

4) नये संशोधित (Amended) लॉ ने वक्फ संस्थाओं की स्थापना के सिद्धान्तों को ही समाप्त कर दिया है। वक्फ कमेटी के पूरे अधिकार ही सरकार ने अपने कब्जे में ले लिये हैं, जिससे वक्फ के लोकतांत्रिक प्रबन्ध का अधिकार ही मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का खण्डित हो गया है।

कानून के विद्वानों से प्रार्थना है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक लोग अपना-अपना कानूनी पक्ष रखें जिससे भारत की गंगा-जमुनी सभ्यता को जनहित में प्रगति और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ाया जा सके तथा भारत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सही अर्थो में बना रहे।

5) यह भी आपत्ति है कि इस अधिनियम 2025 के द्वारा Scheduled Tribe (अनुसूचित जनजाति) के मूल अधिकारों का गौंण किया गया है। यह मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

6) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नये प्रावधान Arbitrary हैं, निरंकुश हैं, अमान्य हैं और अवैध हैं।

7) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लगभग 20 करोड़ मुस्लिमस के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है।

8) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुस्लिम बन्धुओं की Religious Atonomy पर Unconstitutional Assault है।

9) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 स्पष्टत: माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में जो सिद्धान्त पारित किये हैं, उनका उल्लंघन करते हैं।

10) Non Muslim को सेन्टर वक्फ कौन्सिल व बोर्ड ऑफ वक्फ में शामिल करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है हम Secular राष्ट्र नहीं हैं और हम अपने ही भाईयों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 व 27 का यह स्पष्ट उल्लंघन है।

11) यह अधिनियम Islamic Sariat के सिद्धान्त के विपरीत होने से अमान्य है।

12) वक्फ के डोनर के लिये 5 वर्ष का मुस्लिम धर्म मानने वाला प्रावधान, समानता के अधिकार का अर्थात् अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है।

देश में इस समय कई स्थानों पर तोड़फोड़, आगजनी व पुलिस पर आक्रमण की घटनायें हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने राज्य में बिगडते हुये हालात को देखते हुये केन्द्रीय बलों की तत्काल तैनाती की अपील की है। वक्फ संशोधन विधेयक के अतिरिक्त शायद ही अन्य विषय इन दिनों चर्चा का विषय रहा हो।

रामजन्म भूमि के केस में धार्मिक पूजा स्थल के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। भाजपा का मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक भी धर्म निरपेक्ष देश का कानून है। यह प्रचार हो रहा है कि यह कानून शोषण के विरूद्ध है। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबों को इससे न्याय मिलेगा। वक्फ कानून में जो संशोधन हुये हैं, उससे पारदर्शिता आयेगा। सम्पत्ति का दुरूपयोग रूकेगा। यह राज्यों का विषय है। वक्फ एक्ट में बोर्ड के असीमित अधिकार दिये गये थे जिनके तहत् मंदिरों और पूरे गांवों की जमीन ही वक्फ सम्पत्ति रेकार्ड की गई है। राज्य कह रहे हैं इन सम्पत्तियों की राशि से गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण पर खर्च किये जायेंगे। वक्फ का जो अभिप्राय था पूरा किया जावेगा। वक्फ कानून का अभिप्राय भी यही था कि अचल सम्पत्ति को समाज दान करे और इसके माध्यम से इस्लाम के मानने वाले इसकी धार्मिक व पावित्र भावना को साकारता प्रदान करे। नये कानून का अभिप्राय भी यही है गरीब व विकलांगो की मदद हो ट्रस्ट प्रोपर्टी का सुप्रबन्ध हो सके।

देश का कानून सदैव ही स्पष्ट रहा है कि सिविल कोर्ट का सुनवाई का अधिकार क्षेत्र सदैव जीवित रहेगा, उसे छीना नहीं जा सकता। सन 1940 प्रीबी कौन्सिल ने मास्क एण्ड कम्पनी के केस में यह निर्णय दिया गया कि प्राकृति न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध यदि न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) और बोर्ड पक्षकर को बिना सुने निर्णय देवे तो निर्णय को निर्णय नहीं कहा जावेगा व अवैध होगा। इस निर्णय की सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है। संविधान लागू होने के बाद देश की जुडिशियरी, सरकार से अलग हुई। किन्तु वक्फ एक्ट में ट्रिव्यूनल के फैसले की अपील निषेध की गई थी। जबकि वक्फ संशोधन विधेयक सभी को न्याय का वायदा करता है।

ऐसे भी देश के नागरिक हैं जो यह मानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 वस्तुत: संवैधानिक है और पूर्ववर्ती वक्फ अधिनियम, 1923 को तथा वक्फ एक्ट 1995 को व्यर्थ हो चुका कानून मानते हैं। इसी प्रकार वे मानते हैं कि वक्फ एक्ट भी अब अव्यवहारिक है और संविधान की कसौटी पर खरे नहीं है। वक्फ अधिनियम की धारा 54 व 55 में वक्फ सम्पत्तियों से अतिक्रमणकारियों को हटाने का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया है, जबकि ऐसा समान अधिकार अन्य धर्म के ट्रस्ट, मंदिर, मठ को संचालित करने वाले ट्रस्टियों, मैनेजरों को नहीं है अर्थात् भेदभाव पूर्ण व्यवहार का यह जीवन्त उदाहरण है और ऐसे प्रावधान असंवैधानिक हैं। इस प्राकर इन लोगों का मानना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 ने जिन वक्फ अधिनियमों को रिपील किया है वे सभी असंवैधानिक थे, न केवल समानता के प्रतिकूल होने के कारण अपितु अन्य कई कारणों से जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। अत: ये लोग जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी है उसके विरोध में वे अपनी नई रिट् याचिका में अन्य पूर्ववर्ती सभी वक्फ एक्ट को असंवैधानिक, अवैध, अव्यवहारिक तथा अमान्य मानकर अपना केस सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं और रख सकते हैं।

देश के 6 राज्यों ने, जिनमें स्टेट ऑफ आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हरियाणा तथा महाराष्ट्र हैं उन्होंने सुनवाई की 16.04.2025 की तारीख से पूर्व पूर्ववर्ती याचिका 284/2025 में जिसे ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दायर की है में हस्तक्षेप करने व पक्षकार बनने की Intervention Petition दायर की है। सभी राज्यों ने नये कानून का समर्थन किया है, उसे संवैधानिक व Non-discriminatory माना है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट पक्ष व विपक्ष से वाद प्रतिवाद लेकर सभी याचिकाओं का निस्तारण शीघ्रता से करना चाहती है। कुछ याचिकाकर्त्ता अपेक्षा कर रहे हैं कि नया वक्फ संविधान अधिनियम, 2025 जो देश में लागू हो चुका है, उसके क्रियान्वय को रोका जावे और दूसरा पक्ष चाहता है कि अतिक्रमण की गई तथाकथित वक्फ सम्पत्तियों को गरीब मुसलमान, विधवाओं तथा जिसके भी पास छत नहीं है, ऐसे मुसलमानों को सभी आवश्यक सुविधायें दी जावें ताकि वे भी गरिमा के साथ जी सकें।

कानून के विद्वानों से प्रार्थना है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक लोग अपना अपना कानूनी पक्ष रखें जिससे भारत की गंगा जमुनी सभ्यता को जनहित में प्रगति और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ाया जा सके तथा भारत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सही अर्थों में बना रहे।

नोट:- दिनांक 16 और 17 अप्रैल को अन्तिरिम आदेश पर बहस सुनी गई। सरकार ने 7 दिन का समय मांगा और कहा कि कोई परिवर्तन वक्फ में नहीं होगा। न्यायालय ने यह अन्तरिम आदेश दिया कि सरकार के जवाब दावे तक कोई परिवर्तन वक्फ में नहीं होगा यानि यथा स्थिति बनी रहेगी।

सबको सन्मति दे भगवान!

-आतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

क्यों गिरे गेहूं के दाम?

रामपाल जाट

सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य वर्ष 2025-26 के लिए 310 लाख टन का निश्चित किया है। वही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं का बाजार भाव 2725 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब में 125 रुपए, मध्य प्रदेश में 175 रुपए, तथा राजस्थान में 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किए जाने के उपरांत भी सरकारी खरीद मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव अधिक है। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने बोनस घोषित नहीं किया है। देश में प्रतिवर्ष सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग 200 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होती है। बाजार को नियंत्रित रखने के प्रयोजन से भी भारतीय खाद्य निगम और राज्यों के द्वारा गेहूं की खरीद की जाती है।

देश के भंडारण में 15 मार्च तक 130 लाख टन गेहूं जमा होने से संकट का आभास नहीं हो रहा है। किंतु वर्ष 2024-25 में 3.2 करोड़ टन के लक्ष्य के विपरीत गेहूं की खरीद 2.66 करोड़ टन तथा वर्ष 2023-24 में लक्ष्य 3.41 करोड़ टन की तुलना में 2.62 करोड़ टन की ही खरीद होने से सरकार चिंताग्रस्त दिखाई दे रही है। यद्यपि गेहूं की सरकारी खरीद 11 राज्यों में होगी किंतु कुल खरीद का 70 प्रतिशत पंजाब और हरियाणा से ही पूरा होता है। वर्तमान विपणन वर्ष में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में खरीद चालू है।

इसके लिए अभी तक 17,50,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। बाजार भावों के ऊंचा रहने के कारण किसानों का सरकारी खरीद केन्द्रों तक पहुंचना संशय का विषय बना हुआ है। यदि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार भाव सौ रुपए प्रति क्विंटल भी कम रहते हैं तो पंजाब एवं हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में किसानों द्वारा गेहूं विक्रय हेतु बाजार को प्राथमिकता दी जाती है, वे सरकारी खरीद केन्द्रों के मायाजाल से सहमें से रहते हैं। सरकारी भंडारण की लक्ष्यपूर्ति के लिए किसानों को ही विवश कर सरकार गेहूं खरीदना चाहती है। यह स्थिति तो तब है जब सरकार को खुले बाजार में प्रतियोगी के रूप में भंडारण के लक्ष्य पूर्ति का विकल्प विद्यमान है।

पिछले दो वर्षों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने गांव-गांव जाकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य देकर गेहूं खरीदा था। इससे किसानों को लाभ हुआ और सरकारी केन्द्रो का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दामों पर गेहूं खरीद को रोकने के लिए व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय की ओर से खाद्य एवं नागरिकआपूर्ति, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का तहसीलवार दल गठित किया गया है, जो प्रतिदिन खरीद एवं भंडारण के लिए छापेमारी कर जांच करेगा। इसी हेतु से व्यापारियों के लिए गेहूं खरीदने एवं भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी गई है। जिससे व्यापारी गेहूं का भाव भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं रख सकेंगे।

घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकतम नहीं है बल्कि न्यूनतम है। परिणाम स्वरूप कभी-कभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त हो जाते है, उन्हें रोकने के लिए ये उदाहरण बन सकेंगे। मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर राजगढ़ ने भी सरकारी उपार्जन व्यवस्था से हटकर सीधे व्यापारियों को गेहूं विक्रय रोकने के लिए कालातीत वसूली को आधार बनाया है। व्यापारियों के माध्यम से ऋण वसूली का अभियान चलेगा। इसीलिए व्यापारियों को कृषि उपज मंडियों के माध्यम से कालातीत ऋण वाले किसानों की सूची उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों द्वारा सहयोग नहीं करने पर उनके अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का भी आदेश दिया है। इसी आदेश में व्यापारियों को पंजीयन के बिना मंडियों से गेहूं बाहर भेजना एवं अन्य राज्यों से जिले में गेहूं की आवक को रोकने का भी आदेश दिया गया है।

इसी दिशा में राजस्थान में भी किसानों द्वारा व्यापारियों को गेहूं बेचने से रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में गेहूं के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देने का आकर्षण दिया गया है। जिसमें अपरिपक्व एवं टूटे - सिकुड़े दानों की अधिकतम सीमा 6 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा चमक विहीन गेहूं की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक कर दी गई है। जबकि इस वर्ष राजस्थान में उत्पादित गेहूं अन्य वर्षो की तुलना में अच्छा है।

एक ओर तो सरकार किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए किसानों को उनके उत्पाद जहां भी अधिक मूल्य मिले वहां विक्रय करने को प्रोत्साहित करने की संसद में घोषणा करती है, दूसरी ओर गेहूं के अधिक दाम देने से रोकने के लिए नीति बनाकर दिशानिर्देश देती है। सरकारें किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाने में रुचि एवं उत्साह नहीं दर्शाती है बल्कि किसानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य से भी वंचित रखती है। तब भी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की घोषणा करने से अघाती नहीं है।

दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। इस मुहावरे को चरितार्थ करने वाली 57 वर्ष पूर्व की नीति का स्मरण सिहरन उत्पन्न करता है। वर्ष 1968 में हरित क्रांति के बाद भारत सरकार ने सरकारी नियंत्रण के अधीन खाद्यान्न का बड़ा भंडारण निर्मित करने का निर्णय लिया था। उस समय देश में खाद्यान्न का उत्पादन 12 लाख टन था, जो देश की आवश्यकता से कम था। उस समय विदेशो से गेहूं आयात किया जा रहा था। पी एल 480 का समझौता भी इस अवधि में किया गया था। आयात पर निर्भरता कम करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निरंतरता बनाए रखने को आधार बनाकर भंडारण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु उत्पादकों पर पार्सल ग्रेडेड अधिग्रहण मूल्य का वज्रपात हुआ, जिसे प्रचलित भाषा में लेवी के नाम से जाना गया। इसमें पहले तो गेहूं जैसे खाद्यान्नों के संबंध में खुले बाजार की अपेक्षा सरकार के लिए पूर्व क्रयाधिकार की व्यवस्था की गई थी, जिसकी खरीद सरकार स्वयं या भारतीय खाद्य निगम द्वारा करना निश्चित किया गया। निजी व्यापारियों से प्रतियोगिता में बढ़त लेने के लिए अग्रिम संविदा के रूप में किसानों को रासायनिक खाद पर ऋण एवं नकद ऋण के द्वारा भारतीय खाद्य निगम ने खरीद की थी। इसके अतिरिक्त खुले बाजार में नीलामी के द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीद की गई थी, बाद में सरकार द्वारा ही खरीद मूल्य का निर्धारण कर दिया गया। इसी क्रम में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर लेवी के रूप में किसानों से बलात् खाद्यान्न वसूली आरंभ कर दी गई।

सामान्यतया सरकार द्वारा लेवी के लिए निर्धारित दरों से बाजार की प्रचलित दरें अधिक थी। इसलिए सरकार ने लेवी को ही करारोपण की भांति किसानों पर लाद दिया। इस व्यवस्था के कारण अनेकों अवसरों पर किसानों को लेवी चुकाने के लिए बाजार की प्रचलित दरों के आधार पर अधिक मूल्य चुकाकर खाद्यान्न खरीदना पड़ता था।

इससे 'कंगाली में आटा गीला' की कहावत सच हो रही थी। देश के किसानों में आक्रोश होने के कारण विरोध हुआ। सरकार ने उसे दबाने के लिए लाठी-गोली का सहारा लिया। यथा - बाजरे की लेवी वसूली के लिए राजस्थान के जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र में 1 जून 1975 को पुलिस द्वारा गोली चलाने से धोकलराम सारण, ग्राम-कुड़ी, मगनीराम गहलोत तथा नारायणराम, ग्राम- भोपालगढ़ शहीद हुए। उस समय बाजरा का प्रचलित बाजार मूल्य 60 रुपए क्विंटल था जबकि सरकार ने लेवी के लिए एक क्विंटल का मूल्य 30 रुपए ही निर्धारित किया था। यही स्थिति गेहूं की थी। समय - काल - परिस्थितियों में खाद्यान्न के भंडारण की आवश्यकता तो समझ में आ सकती है किंतु उसका भार किसानों के कंधों पर डालना निश्चित ही अन्याय कारी है। गेहूं के दाम गिराने के लिए 'सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे' लोकोक्ति को चरितार्थ करने वाली 57 वर्ष पूर्व की नीतियों का ही सरकार ने सहारा लिया।

इसी का परिणाम है कि गेहू के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर गये। 12 अप्रैल तक गेहूं की खरीद 31 लाख टन हो चुकी जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 17 लाख टन से अधिक है, यानि घाटा किसानों को ही उठाना पड़ा।

-रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत

झुंझुनू नगर की स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा : के.के. गुप्ता

- **'झुंझुनू नगर को स्वच्छ और हरा भरा बनाकर मुख्यमंत्री के स्वच्छ राजस्थान संकल्प को पूरा करेंगे'**
- **न्याय मित्र के के गुप्ता ने झुंझुनू में जनसुनवाई की, अधिकारियों को निर्देश दिये**

झुंझुनू। झुंझुनू नगर की स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि नगर को स्वच्छ, सुंदर और हरा-भरा बनाए रखें। यह बात स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान सरकार के प्रदेश समन्वयक और नगर परिषद झुंझुनूं के न्याय मित्र के के गुप्ता ने गुरुवार को आयोजित की गई जनसुनवाई में व्यक्त किए। जनसुनवाई के प्रारंभ में नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया ने न्याय मित्र गुप्ता का स्वागत किया। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वच्छ राजस्थान के संकल्प को हमें पूरा करके दिखाना है, उसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान प्रदेश का प्रत्येक शहर स्वच्छ और सुंदर बने इसी कड़ी में शेखावाटी अंचल का प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक नगर झुंझुनू भी स्वच्छता में पीछे नहीं रहना चाहिए।

झुंझुनू विधानसभा विधायक राजेंद्र भाभू ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी सामूहिक प्रयास और भागीदारी के साथ झुंझुनू शहर को स्वच्छता का रोल मॉडल शहर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि झुंझुनू को डूंगरपुर शहर जैसा स्वच्छ, हरा भरा और जल युक्त शहर बनाएंगे। झुंझुनू शहर एक प्रमुख पर्यटक नगर है और यह आने वाला हर पर्यटक अपने मन में यह छाप लेकर जाता है की उसे शहर का सौंदर्य और स्वच्छता कैसी है, जो अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही रखेगा वह अनुशासनात्मक कार्यवाही और दंड का भागी बनेगा

न्याय मित्र गुप्ता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी लापरवाही करेगा वह दंड का भागी होगा। किसी भी स्वच्छता के कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए सभी मिलकर तालमेल से शहर को स्वच्छ सुंदर हरा-भरा बनाए। जहां भी अतिक्रमण हो रहे हैं, सड़कों पर सामान रखकर बिक्री किया जा रहा है या आवासीय परमिशन लेकर कमर्शियल निर्माण किया जा रहे हैं उन पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए तथा उनके विरुद्ध करवाई करने के लिए निर्देशित किया।

न्याय मित्र झुंझुनू गुप्ता ने स्वच्छता को लेकर गुरुवार को जनसुनवाई की। जिसमें आम जन अतिक्रमण एवं स्वीकृति के विरुद्ध कार्य करने की शिकायतें तथा जगह-जगह गंदगी एवं सफाई नहीं होने की शिकायत की तथा कई वार्डों में लाइट लंबे समय से बंद होने की भी शिकायतें सामने आई। जगह-जगह जानवरों का सड़कों पर घूमने को लेकर भी लोग शिकायतें कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान कचरा उठाने वाले व्हीकल समय पर नहीं आना की बात भी कहीं, जिस पर न्याय मित्र गुप्ता ने कमिश्नर एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि यह अब चलने वाला नहीं है, मुझे न्यायालय ने नियुक्त किया है। मेरे द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है परंतु समय समय पर कर्मचारियों की लापरवाही से आमजन में नगर परिषद से विश्वास उठ रहा है जो किसी भी सूरत में उचित नहीं है।

जनसुनवाई के दौरान न्याय मित्र गुप्ता ने कहा कि शहर में घर-घर से कचरा नियमित उठाना चाहिए। नगर में की जाने वाली रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया कि पूरे कमर्शियल एरिया के अंदर रात्रि में सफाई होनी चाहिए, क्योंकि दिन में यह सफाई संभव नहीं है। मात्र 10 कर्मचारियों से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है।

सामुदायिक शौचालय और मूत्रालय को लेकर सहायक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए की किसी भी शौचालय मूत्रालय में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए, दिन में दो बार ढुलाई और सफाई होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के कागज पोस्ट चिपके हुए नहीं होने चाहिए। सड़क पर घूमने वाले बेसहारा जानवरों को लेकर कहा कि जो सड़कों पर घूम रहे हैं वह आमजन के लिए भी खतरा है तथा गंदगी भी फैला रहे हैं। ऐसे में सभी जानवरों को गौशाला में ले जाकर छोड़ना तुरंत प्रारंभ करें। नालियों की गंदगी को लेकर निर्देश दिए कि जिन नालियों में गंदगी है, उन्हें हाई प्रेशर मशीन से साफ की जाए। जो भी लाइट सड़कों पर बंद है या कॉलोनी में बंद है 24 घंटे में लाइट चालू होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा संबंधित व्यक्ति से ली जाएगी अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों एवं न्यायालय को लिखा जाएगा।

न्याय मित्र गुप्ता ने रानी सती दादी के मंदिर का भी निरीक्षण किया। जहां पर बाहर बनी नालियों में गंदगी पाई गई संबंधित कर्मचारियों को कहा कि यह तत्काल साफ किया जाए। जल को लेकर भी गुप्ता ने कहा कि कोई भी तालाब जो शहर में है गंदा है, उसकी सफाई करवाई जावे उसके पानी के आने के रास्ते खुलवाएं तथा उसे गहरा करवा कर जल संचय के लिए वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में अनिवार्य रूप से लगवाएं। न्याय मित्र गुप्ता ने नगर परिषद आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पिछली जितनी भी पुरानी शिकायते प्राप्त हुई है उन सभी का आगामी 24 घंटे के अंदर निस्तारण करें और इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाए।

सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग

करौली, (निसं)। करौली जिले में सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शेरपुर के स्थान पर सूरौठ को पंचायत समिति बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सूरौठ क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएं और जनसंख्या के लिहाज से भी अधिक उपयुक्त है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सूरौठ को पंचायत समिति बनाने कि मांग की है। वहीं कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

सूरौठ तहसील क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने करौली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से सात अप्रैल को शेरपुर को नवीन पंचायत समिति बनाए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, जबकि यह सूरौठ और आसपास की जनता के साथ अन्याय है। सूरौठ करौली जिले की सबसे बड़ी पंचायत है और कई वर्षों से तहसील मुख्यालय भी है। वर्तमान में सूरौठ की जनसंख्या लगभग 25,000 है, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 13,780 थी। वहीं, शेरपुर की जनसंख्या मात्र 4,817 है, जो वर्तमान में सूरौठ तहसील की ही उप-तहसील है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित 25 पंचायतों में से 16 पंचायतें हिंडौन विधानसभा और 9 पंचायतें करौली विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। सूरौठ में दिल्ली-मुंबई स्टेट हाईवे, बड़ी रेल लाइन, तहसील मुख्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, विद्युत कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेद चिकित्सालय, राष्ट्री

अधिकारी आधे समय फील्ड में लोगों के बीच रहकर समस्याएं सुनें : कलेक्टर

बीकानेर, (कासं)। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि यह समय अधिकारियों के लिए संवेदनशील होकर कार्य करने का है। अधिकारीगण आधा समय फील्ड में और आधा समय कार्यालय में रहें। मैसेज ये जाना चाहिए कि 45-48 डिग्री तापमान में भी राजस्थान के अधिकारी फील्ड में लोगों के बीच में हैं और उनकी समस्याओं को फील्ड में रहकर महसूस कर रहे हैं और उनका निस्तारण भी करवा रहे हैं।

मुख्य सचिव सुधांश पंत गुरूवार को राज्य भर में चल रही जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जयपुर सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब लोग बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर परेशानी में हो तो प्रशासन आराम से नहीं रहना चाहिए। पानी, बिजली और चिकित्सा की बैठकें रूटीन में ना करके प्रभावी ढंग से करें। पंत ने कहा कि पानी, बिजली और चिकित्सा को लेकर बैठकें रूटीन में नहीं करके प्रभावी ढंग से करनी है और डिस्पोजल भी प्रभावी ढंग से ही करना है ताकि भीषण गर्मी में हम लोगों को अधिकतम राहत दे सकें।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं का डिस्पोजल टाइम पहले 46 दिन था जो कम होकर 15 दिन हो गया है। साथ ही रिलीफ सैटिस्फैक्शन भी 8 फीसदी बढ़ा है। ये आंकड़े अच्छे हो सकते हैं लेकिन हमें हकीकत में भी आमजन की परिवेदनाओं का हमेशा प्रभावी डिस्पोजल करना है। रिलीफ सैटिस्फैक्शन और रिजक्शन सैटिस्फैक्शन को बढ़ाना है। किसी की परिवेदना रिजेक्ट हुई है तो उसे संतुष्ट करना है कि क्यों रिजेक्ट की गई। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे पर संपर्क पोर्टल के एडवांस वर्जन को लांच करने की संभावना है। इस दिन संपर्क पोर्टल पर विभिन्न कैटेगरी में अच्छा परफोर्मेंस करने वालों को सम्मानित भी किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में अधिकारीगण अनावश्यक छुट्टियों पर ना जाएं। केवल शादी, गर्मी या मेडिकल इश्यू पर ही छुट्टी लें। जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला कलेक्टर से और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी संबंधित एसडीएम से छुट्टी लेकर ही मुख्यालय छोड़ें। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने केन्द्र और राज्य की 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। अधिकारीगण इन फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। संभागीय आयुक्त डॉ रवि कुमार सुरपुर ने मुख्य सचिव को बताया कि नहरबंदी को लेकर बीकानेर संभाग के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए लू, तापघात आदि को लेकर भी बैठकें ली जा चुकी है। लोगों को पानी, बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं आने दी जायेगी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि जनसुनवाई में अतिक्रमण, डिलिमिटेशन, अलॉटमेंट के इश्यू ज्यादा आ रहे हैं। जिनका प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है।

जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर के समक्ष कुल 91 प्रकरण आए। जिनमें से सर्वाधिक 27 राजस्व के, 20 नगर निगम के, 10 बीडीए के,08 जोधपुर डिस्कॉम के, 07 पंचायत पुनर्गठन के एवं बाकी अन्य विभागों से संबंधित थे। अधिकांश प्रकरणों का जिला कलेक्टर द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। अन्य परिवेदनाओं के निस्तारण को लेकर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला परिषद सोहन लाल, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त अपर्णा गुप्ता, एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत, एडीएम सिटी रमेश देव समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने प्रकरणों की सुनवाई की।

- जिला स्तरीय जनसुनवाई में 91 प्रकरण आए
- मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि जब लोग बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर परेशानी में हो तो प्रशासन आराम से नहीं रहना चाहिए
- पानी, बिजली और चिकित्सा की बैठकें रूटीन में ना करके प्रभावी ढंग से करें

पेंशनर्स का सत्यापन 30 तक करवाना जरूरी

बीकानेर, (कासं)। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 30 अप्रैल तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जिले में कुल 2 लाख 64 हजार 570 पेंशनर्स हैं। इनमें 1 लाख 87 हजार 141 वृद्धजन पेंशनर्स, 59 हजार 735 विधवा पेंशनर्स, 16 हजार 845 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 849 कृषक वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं।

पंवार ने बताया कि अब तक लगभग 86.94 प्रतिशत पेंशनर्स द्वारा अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है। वहीं 34 हजार 566 पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन लम्बित हैं। पंवार ने बताया कि पेंशनर्स द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क और ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा।

अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से करवाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए विकसित एन्ड्राइड मोबाइल ऐप राजस्थान पेंशन एंड आधार फेसआरडी के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा। पंवार ने बताया कि यदि सत्यापन नहीं होता है तो पेंशनर्स को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कराना होगा।

सार-समाचार

पीबीएम में जल सेवा की शुरूआत

भामाशाहों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी ने पीबीएम में शीतल जल सेवा का शुभारंभ किया।

बीकानेर, (कासं)। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में अब मरीजों-परिजनों को गर्मी में शीतल जल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें गर्मी के मौसम में छह महीने तक लगातार शीतल जल सुलभ होगा। पांच दोस्तों की ओर से चार साल पहले श्रीकृष्ण सेवा संस्थान की ओर से शुरू की गई यह सेवा अब निरंतर जारी है। यह सेवादार हर साल अप्रेल में पीबीएम में शीतल जल सेवा शुरू करते है। इस बार इसकी शुरूआत गुरुवार को की गई। पीबीएम अस्पताल के मर्दाना विंग के सामने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ गुंजन सोनी, पीबीएम अधीक्षक डॉ सुरेन्द्र वर्मा व भाजपा महामंत्री मोहन सुराणा ने इसकी शुरूआत की। श्रीकृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्यामसुंदर सोनी,संजय कुमार लावट, भैरूराम मौसूण, बाबूलाल मांडण, मूलचंद बामलवा, मनोज डावर, कैलाश डावर, मघाराम कुमावत, विष्णु मौसूण, नर्सिंग कॉलेज के अब्दुल वाहिद आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष सोनी ने बताया कि पीबीएम में पहले दिन 352 कैम्पर रखवाए हैं। कुछ दिनों में ट्रोमा सेन्टर व कैंसर अस्पताल के आगे भी शीतल जल की व्यवस्था शुरू करवा दी जायेगी। जलसेवा में प्रतिदिन 30 से 35 सदस्य जुटे हुए हैं। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी ने कहा कि इस प्रकार की अनूठी सेवा से रोगियों व उनके परिजनों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही गर्मी से भी राहत मिलेगी। डॉ गुंजन सोनी ने इसे अनुकरणीय कार्य बताते हुए संस्थान की सराहना की। डॉ सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि भामाशाहों के ऐसे प्रयासों से नर सेवा नारायण सेवा के भाव सार्थक हो जाते है। संस्था के महामंत्री संजय लावट बताते हैं कि जलसेवा के लिए सेवादारों में होड़ मची है। सेवा देने वालों की सूची में ऐसे लोग शामिल है जो अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर शीतल जल के कैम्पर उपलब्ध कराते हैं।

उर्स पर दरगाह कमेटी ने चादर चढ़ाई

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर शहर में कोटगेट के अन्दर स्थित हाजी सैय्यद बलवान शाह पीर बाबा की दरगाह पर सालाना 53 वें उर्स मौके पर कल शुक्रवार की देर शाम को कव्वालियों की महफिल सजेगी। उसी के साथ तीन दिवसीय उर्स का समापन हो जायेगा। दरगाह के गद्दानशीन सलीम शाह बाबा ने गुरुवार को बताया कि सालाना तीन दिवसीय उर्स बुधवार 16 अप्रैल को शुरू हुआ था पहले दिन जायरिनों ने सवा लाख दुरूदे पाक का प्रोग्राम रखा, दूसरे दिन आज 17 अप्रैल को दरगाह कमेटी व जायरिनों की तरफ से बाबा की दरगाह चादरें चढ़ाई गई। तीसरे दिन 18 अप्रैल शुक्रवार की देर शाम बाहर से आये कवाल पार्टी के द्वारा बाबा की शान में कव्वालियां पेश की जायेगी। इस उर्स में सर्वसमाज के लोग हमेशा की तरह इस बार भी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर दरगाह कमेटी से जुड़े मुनीयाद अली शाह, बरकत अली शाह, रफीक शाह, हसन शाह, आदम शाह, आदिल शाह, लियाकत अली शाह, शाकिर हुसैन चौपदार, सदर अफरीदी पठान,आरिफ, बाबू, गुलाम अली एवं नियाज़ शाह सहित अन्य लोगों ने व्यवस्थाओं को संभाला।

सैम्पल सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 6.85 लाख का जुर्माना

बीकानेर, (कासं)। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है।

लाल मिर्च और घी के सैम्पल निम्न मानक सब स्टैंडर्ड पाए जाने, धनिया में बाह्य पदार्थ मिलने और भुजिया मिस ब्रांड पाए जाने पर एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर कुल 06 लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया है। विदित है कि कुछ समय पहले ही इसी कोर्ट ने 28 मार्च को बादाम, पिस्ता और दही के सैम्पल निम्न मानक सब स्टैंडर्ड पाए जाने और सरसों का तेल मिसब्रांड पाए जाने पर संबंधित फर्मों पर कुल 13 लाख 20 हजार का जुर्माना और 11 मार्च को दूध दही और मावा के सैम्पल सब स्टैंडर्ड मिलने पर चार विभिन्न फर्मों पर 2 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया था। एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर वेंडर टी स्टॉल नं .2 के वेंडर राजू गिरी पुत्र छोटू गिरी के यहां बीकाजी भुजिया का सैंपल लिया गया। जो मिस ब्रांड पाया गया। लिहाजा वेंडर राजू गिरी पुत्र श्री छोटू गिरी और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर संयुक्त रूप से 50 हजार रूपये का और उसकी सप्लाई देने वाली फर्म स्टेशन रोड़ मटका गली में स्थित भाटिया ट्रेडिंग कंपनी पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया।

- लाल मिर्च और घी व धनिया के सैम्पल निम्न मानक सब स्टैंडर्ड पाए, भुजिया मिस ब्रांड पाये जाने पर जुर्माना लगाया

एडीएम प्रशासन कुमावत ने कि इसी तरह रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर वेंडर टी स्टॉल नं .2 के वेंडर मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह के यहां बीकाजी भुजिया का सैम्पल लिया गया जो मिस ब्रांड पाया गया। लिहाजा मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 60 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं इसको सप्लाई देने वाली फर्म गंगाशहर में नोखा रोड़ पर नए बस स्टैंड के पीछे पावर हाउस के पास स्थित गौरव फूड्स पर 2 लाख 40 हजार की शास्ति है। कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार लालगढ की रामपुरा बस्ती की गली नंबर 09 में स्थित मैसर्स हरिओम नमकीन मसाला पर धनिया पाउडर के सैंपल में बाह्य पदार्थ पाए जाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना और लाल मिर्च पाउडर का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर इसी फर्म पर 40 हजार रूण् का जुर्माना लगाया गया है।

करंट लगने से युवक की मौत

बीकानेर, (कासं)। रायसर गांव के एक रिसोर्ट में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घटना दो दिन पहले की है जिसकी एफआईआर बुधवार को मृतक के भाई ने नापसर थाने में दर्ज की गई है।

शिवबाड़ी में रहने वाले मोहित कुम्हार ने पुलिस को बताया कि उसका भाई आकाश कुम्हार (22) लाइट डेकोरेशन का काम करता है। इसी बीच वो नापासर थाना क्षेत्र के रायसर गांव की रोही में स्थित एक प्राइवेट रिसोर्ट में काम करने गया था। जहां काम करते वक्त 15 अप्रैल की सुबह उसे करंट लग गया। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक का शव मोर्चरी में रखा गया। जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह प्रकरण की छानबीन कर रहे हैं। डूंगरगढ़ के एक खेत में काम करते वक्त महिला को सांप ने काट लिया।

तीन जगह से 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडर्स के दुरूपयोग के खिलाफ ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी श्रृंखला में जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चैधरी के नेतृत्व में गुरूवार को प्रवर्तन निरीक्षकों जय सिंह और राहुल गुलानी ने तीन स्थानों पर कार्रवाई की गई।

जयपुर रोड़ पर श्रीश्याम होटल एंड रेस्टोरेंट पर घरेलू गैस सिलेंडर्स का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग पाया गया। सुमेर सिंह पुत्र भूरसिंह से 4 सिलेंडर्स जब्त किए गए। जयपुर रोड पर ही करणी कृपा होटल पर भी घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग करते पाए जाने पर आरोपी शिवपाल सिंह पुत्र जेठू सिंह से 4 सिलेंडर जब्त किए गए।

रायसर ग्राम में श्रीश्याम सफारी पाइंट के पास सुरजन सिंह पुत्र जगमाल सिंह को घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग करते पाया गया जहां 6 सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं।

- घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक कार्यों में दुरूपयोग करने वालों की धरपकड़ जारी

तीनों कार्यवाहियों में कुल 14 सिलेंडर्स जब्त किए गए और जब्त सिलेंडर्स जश्मान एचपी गैस ऐजेंसी को सुपुर्द कर सुरक्षित रखवाए गए हैं। प्रकरणों में घरेलू गैस सिलेंडर्स का दुरूपयोग एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2000 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए इन प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज करवाया जाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय बीज परियोजना
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय

F. No. :- ()/NSP/SKRAU/NIT/2025-26/404 Date :- 16/04/2025

कृषि भूमि कास्त बाबत निविदा सूचना 03/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज परियोजना, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के यांत्रिक कृषि फार्म रोजड़ी वाया घड़साना, श्रीगंगानगर के बीज उत्पादन फार्मो को **"जहाँ हैं जैसे हैं"** की स्थिति में वर्ष 2025-26 (खरीफ 2025 व रबी 2025-26) के लिये कास्त बाबत वार्षिक अनुबन्ध पर देने के लिए खुली बोली आमंत्रित की जाती है। खुली बोली से सम्बधित विस्तृत जानकारी वेब साईट www.raubikaner.org, http://sppp.rajasthan.gov.in व राष्ट्रीय बीज परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। UBN : SKA2526WSOB00010 To 00013

राज.संवाद/सी/25/873 अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज)

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/3851 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 16-04-2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री भूपेन्द्र कुमार निवासी म.न. 24 कैलाशपुरी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
वक 1 एफ छोटी मुरब्बा नं. 56 किला नं. 14, 17 भूखण्ड संख्या एफ 03 माप 33.4 इन्च 62.6 फीट श्रीगंगानगर होल्म, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 13165 दिनांक 12.01.2022 को अलका रानी पुत्री श्री नरेन्द्र सुषमा रानी पत्नी श्री श्याम लाल अरोड़ा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती सरिता देवी द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत बैचनामा दिनांक 20.01.2025 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का ऑनलाइन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री भूपेन्द्र कुमार निवासी म.नं. 24, कैलाशपुरी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज / फ्री सेल होल्ड एरिटे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उज्जर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति / उज्जर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/1545 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

बीकानेर, (कासं)। जिले के बज्जू थानान्तर्गत एक बुजुर्ग की हत्या में नामजद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर को एक ज्ञापन देकर हत्यारों के गिरफ्तारी की मांग की है।

मृतक के पुत्र चक 3 एम.डी.एम. मोडायत निवासी उम्मेद सिंह की अगुवाई में मिले शिष्टमंडल ने एसपी को अवगत कराया कि 26 फरवरी की रात को उनके पिता ठा. गज्जू सिंह मृत अवस्था में मिले थे। जिनके मुंह व गले पर चाकू से वार के निशान भी पाये गए। जिसकी नामजद एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। परन्तु पुलिस अनुसंधान अधिकारी के द्वारा आज दिन तक किसी भी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ना ही पुलिस अधिकारी के द्वारा पावों के जूतों के निशान के आधार पर किसी भी प्रकार की खोजबीन नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं थानाधिकारी व अनुसंधान अधिकारी गिरफ्तारी को लेकर कोई संतोषजनक जबाब तक नहीं दे रहे हैं।

- बज्जू थानान्तर्गत एक बुजुर्ग की हत्या का मामला

शिष्टमंडल का आरोप है कि नारको टेस्ट का बहाना कर बज्जू पुलिस एफ.आई.आर में अपनी निष्क्रियता दिखा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार में भय का माहौल है। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भविष्य में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।

निबंध प्रतियोगिता

बीकानेर, (कासं)। राजस्थानी साफा-पाग, कला संस्थान एवं थार विरासत की ओर से नगर स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजनों की श्रृंखला में 537 वें स्थापना दिवस पर आयोजित 7 दिवसीय उछब थरपणा के तहत समारोह के चौथे दिन निबंध प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया।

समारोह संयोजक राजेश रंगा ने बताया कि 'अलमस्त शहर बीकानेर' विषयक निबंध प्रतियोगिता सफल रही। जिसमें बीकानेर के विभिन्न पक्षों को रखते हुए जैसे पाटा संस्कृति, मनमौजी, तीज त्यौहार, इतिहास एवं स्थापत्य-कला एवं परंपरागत संस्कृति के बारे में निबंध में बहुत सुंदर चित्रण सहभागियों ने अपनी-अपनी भाषा शैली में व्यक्त किए। जिसके माध्यम से आत्म संतोषी बीकानेर शहर के आलीजापन एवं फक्कड़पन को रेखांकित किया।

चाइनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री व उपयोग पर रोक

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने के साथ पक्षियों के लिये बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा व चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मैटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने हों) की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग को बीकानेर जिले की क्षेत्राधिकारिता में प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार अक्षय तृतीया के पर्व पर जिले में पतंगबाजी के दौरान धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यह मांझा धारदार तथा विद्युत सुचालक होता है। जिसके उपयोग से दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को नुकसान होने की संभावना रहती है। विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को नुकसान पहुंचना तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने में निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझो का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी।

- जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

साथ ही पक्षियों के विचरण की गतिविधियां प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य होती है। अतः इस समय पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उलंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत संबंधित व्यक्ति एवं व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

UIT Approved . आवेदन शुल्क EWS-5000+900 LIG-3000+540

श्री राधे एन्क्लेव सैक्टर 1-बी

मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2015

चक 2ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 6, 15, 16 नजदीक श्री राधे एन्क्लेव, श्रीगंगानगर

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आयजन के लिए सुनहरा अवसर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 1-ए के अन्तर्गत भूखण्ड

-: आवेदन पत्र की प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का कार्यक्रम :-

ऑफलाईन आवेदन पत्र उपलब्ध.....17.04.2025

ऑफलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम अवधि 28.04.2025

1. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थायी सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
2. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
3. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

} दिनांक 30.04.2025 को स्थान श्री राधे एन्क्लेव में ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

*अन्दर जाने लगा

आवेदन प्राप्ति स्थान : श्री राधे एन्क्लेव, नजदीक मौसम विभाग, श्रीगंगानगर

सम्पर्क सूत्र : राहुल मित्तल, श्री राधे एन्क्लेव, श्रीगंगानगर, 80059-51858

आवेदन पत्र ऑफलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे। आवेदक की अधिकतम आय सीमा EWS भूखण्ड 03 लाख रूपये व LIG भूखण्ड 06 लाख रूपये होनी आवश्यक है। आवेदन पत्र की कीमत आवेदन पत्र के साथ ही जमा करवानी होगी।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट का विरोध

बीकानेर, (कासं)। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं के नाम शामिल करने का विरोध बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है।

जिला कांग्रेस कमेटी शहर व देहात के संयुक्त तत्वावधान में गुरूवार को स्थानीय आयकर विभाग कार्यालय रानी बाजार मुख्य द्वार के आगे प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया तथा केन्द्र सरकार के विरूद्ध जमकर नारेबाजी की। जिला प्रभारी व विधायक शिमला नायक ने उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार राहुल गांधी की सच्चाई से घबरा गई है तथा उनकी आवाज ईडी के जरिए और सत्ता के दुरूपयोग से दबाना चाहती है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि देश के करोड़ों कांग्रेसजन उनके साथ खड़े हैं। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने द्वेष भावना से कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की है। भाजपा सरकार तानाशाही अपनाते हुए हमारे नेताओं पर जोर जबरदस्ती करते हुए ईडी का दुरूपयोग कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। लेकिन हम देशभर के कांग्रेसजन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पूर्ण रूप से साथ हैं। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने कहा कि राहुल गांधी मोदी सरकार के झूठ के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर तानाशाही की सच्चाई बयान कर रहे हैं। आम लोगों की, लोकतंत्र की, बेरोजगार युवाओं की, गरीबों की, छोटे व्यापारियों की, मजदूर की, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं ।

बीकानेर में इनकम टैक्स ऑफिस के आगे कांग्रेसजनों ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया।

राजस्थान सरकार
कार्यालय:खनि.अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर
खनन पट्टों नामान्तरण बाबत विज्ञप्ति

क्रमांक:खअ/बीका/एमएल36/2013/2020-2021

सर्व साधारण को सूचितकिया जाता है कि इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्वीकृत खननपट्टा संख्या 10/1993 मैसर्स प्रेमलता गुप्ता पत्नि स्व.श्री वेदप्रकाश गुप्ता खनिज बॉलक्ले, फायरक्ले, रेड व यलो ऑकर निकट ग्राम इंदों का बाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर के खननपट्टाधारी श्रीमति प्रेमलता गुप्ता की मृत्यु दिनांक 10.03.2025 को हो चुकी है। खनन पट्टाधारी के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर विषयांकित खनन पट्टो का नामान्तरण करने का निवेदन किया गया उक्त खनन पट्टे के नामान्तरण के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 15दिवस में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में दर्ज कराये, बाद अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी व नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

क्र. सं.	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्र	खनिज	मृतक खनन पट्टाधारी जिसके नाम से खनन पट्टा धृत है	मृत्यु की दिनांक	मृतक के वारिसानों के नाम एवं मृतक से संबंध		वारिस नामे द्वारा सहमति उत्तराधिकारी का नाम जिसके पक्ष में नामान्तरण प्रस्तावित है।		वि.वि.
						नाम	मृतक से संबंध	नाम	मृतक से संबंध	
1.	10/1993	निकट ग्राम इंदो का बाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर	बॉलक्ले फायर क्ले रेड व.यलो ऑकर	श्रीमति प्रेमलता गुप्ता पत्नि स्व. श्री वेदप्रकाश गुप्ता

सुरक्षा बलों के त्याग और तपस्या के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं : अमित शाह

ब्रह्मकुमारीज़ संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ

सिरोही/जालोर, (निसं)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के सुरक्षा कर्मियों के त्याग-तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। माइनस 46 डिग्री टेंपरेचर से लेकर प्लस 46 डिग्री टेंपरेचर के अंदर हमारी सीमाओं की सुरक्षा वे अपने जीवन का स्वर्णकाल देकर करते हैं। अमित शाह गुरूवार को सिरोही के आबूरोड में स्थित ब्रह्मकुमारीज हैड क्वार्टर शांतिवन में आयोजित सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म-सशक्तीकरण विषयक राष्ट्रीय संवाद के शुभारम्भ के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के मन, आत्मा और शरीर को शांति का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए ब्रह्माकुमारीज़ संस्था को साधुवाद दिया।

केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि योग और अध्यात्म से मन-बुद्धि, शरीर और आत्मा को एकरूप करके ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर मानवता को आगे ले जाने की भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। हम इस परंपरा को आज भी समग्र विश्व में पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, विश्व को सबसे पहले भारत ने दी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्था में मनुष्य के अंदर की सद्वृत्ति को जाग्रत करने का प्रयास अनेक वर्षों से किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप मन को अगाध शांति का अनुभव यहां आकर होता है और मैंने आज स्वयं भी यह महसूस किया है। उन्होंने ब्रह्माकुमारी संस्था के संस्थापक पूज्य दादा लेखराज कृपलानीजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जीवन में जब गुरु मिल जाता है तो कई लोगों का जीवन सन्मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। लेखराज कृपलानीजी ने ब्रह्माकुमारी की स्थापना कर हर एक व्यक्ति की आत्मा को ही दीप बनाकर उसके प्रकाश में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा आह्वान किया। उन्होंने राजयोगिनी दादी स्व. रतन मोहिनी को नमन करते हुए और राजयोगिनी मोहिनी दीदी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास प्रकट किया कि वे समाज को सद्वृत्ति की ओर ले जाने वाले इस आंदोलन को उतनी ही ऊर्जा और तत्परता के साथ आगे ले जाएंगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा और विकास के दर्शन के प्रमुख शिल्पी हैं। वे सशक्त भारत के निर्माण के लिए देश की सुरक्षा नीति के कुशल सारथी होने के साथ देश की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों के भी संवाहक हैं। शर्मा ने कहा कि ब्रह्मकुमारीज संस्था ने राजयोग को सहजता के साथ जन-जन तक पहुंचाया है, जो तनावमुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबोध का माध्यम बन गया है। उन्होंने राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान की राष्ट्रीय थीम वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जवानों को शारीरिक सामर्थ्य के साथ एक शांत और स्थिर चित्त की जरूरत होती है और यह शक्ति उन्हें ध्यान एवं योग से मिलती है।

ब्रह्मकुमारीज़ की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। मेडिटेशन से मन-बुद्धि-संस्कार की एकाग्रता आती है। मेडिटेशन से ही आत्मा के सात गुण- ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और आनंद मूल स्वरूप में आते हैं। आरम्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने प्रभाग की सिल्वर जुबली की लॉचिंग की और संस्थान की इस वर्ष की वार्षिक थीम-विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान का राष्ट्रीय उद्घाटन किया।

इस दौरान उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, पंचायती राज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद मदन राठौड़, लुम्बाराम चौधरी, संकुल प्रमुख राजयोगिनी मुन्नी दीदी, सुरक्षा सेवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शुक्ला दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉ. मृत्युंजय सहित जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे।

कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आदि मौजूद रहे।

- भय और हिंसा के पर्याय रह चुके क्षेत्र केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में शांति और विकास के पथ पर अग्रसर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

7.67 करोड़ की सायबर ठगी का खुलासा, चार गिरफ्तार

बिट्स की महिला प्रोफेसर से सायबर ठगी हुई थी, एसपी को दी शिकायत पर हुई कार्रवाई

झुंझुनूं, (निसं)। जिले के पिलानी में स्थित बिट्स की महिला प्रोफेसर श्रीजाता डे को करीब तीन महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर की गई सात करोड़ 67 लाख रूपए की सायबर ठगी के मामले में सीबीआई ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है।

सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र-5 तहत कार्रवाई करते हुए यूपी के मुरादाबाद और मुंबई से दो-दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से पुलिस को 200 के करीब बैंक अकाउंट, चैक बुक, एटीएम कार्ड के अलावा 25 हजार आईपी एड्रेस मिले है। इन आईपी एड्रेस के जरिए ही कॉल करके सायबर ठग डिजिटल अरेस्ट और सायबर ठगी की वारदातें करते थे। वहीं 200 के करीब बैंक खाते मिले हैं, उनमें पैसा मंगवाने और भेजने के काम लिया जाता था। सीबीआई सभी की पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पांच दिन का रिमांड लिया गया है।

जानकारी के अनुसार बिट्स पिलानी की महिला प्रोफेसर श्रीजाता डे को ठगों ने पहली बार अक्टूबर 2023 में कॉल किया था। जिसमें ठगों ने बताया था कि वे दूरसंचार विभाग ट्राई से बोल रहे है। महिला प्रोफेसर के मोबाइल नंबर पर सायबर क्राइम से जुड़ी शिकायत प्राप्त हुई है। ठगों ने श्रीजाता डे को पहले दिन से ही डराते हुए फोन बंद करने, मुंबई पुलिस द्वारा कार्रावई करने जैसी धमकी दी गई। इसके बाद मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी आदि का डर दिखाकर तीन महीने के दौरान रमियान श्रीजाता डे से सात करोड़ 67 लाख रूपए की ठगी 42 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के रूप में कर ली।

पीड़ित महिला प्रोफेसर में इनमें से 80 लाख रूपए की राशि तो बैंक से लोन उठाकर भी ठगों को दे दी। ठगों ने पैसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने पर वापिस देने की बात कहते हुए ठगे, लेकिन जब 15 फरवरी 2024 को पैसे वापिस देने की बात आई तो ठगों ने फोन बंद कर लिए और गायब हो गए। जिससे परेशान महिला प्रोफेसर ने झुंझुनूं एसपी को शिकायत दी। एसपी को दी गई शिकायत के आधार पर सायबर थाने में मामला दर्ज किया गया। लेकिन इस मामले में महिला प्रोफेसर ने ठगों के बताए अनुसार विदेशी बैंक खातों में भी पैसे भेजे थे। इसलिए राजस्थान पुलिस ने सीबीआई से इस मामले की जांच का निवेदन किया।

सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेते हुए जब जांच शुरू की तो तकनीक का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुंबई, मुरादाबाद, संभल, जयपुर और कृष्णनगर में 12 ठिकानों पर छापे मारे। इसके बाद मुरादाबाद और मुंबई से दो-दो आरोपियों, यानि कि चार सायबर ठगों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी सीबीआई ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रेस नोट के जरिए दी।

इस मामले में जब झुंझुनूं आए जयपुर आईजी अजयपाल लांबा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला सीबीआई के पास है। इसलिए वे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यह मामला ना केवल झुंझुनूं या राजस्थान, बल्कि पूरे देश के चर्चित डिजिटल अरेस्ट के मामलों में से एक है। क्योंकि इसमें एक महिला प्रोफेसर को करीब तीन महीने तक सायबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट रखा और 42 ट्रांजेक्शन से 7 करोड़ 67 लाख रूपए की राशि ठग ली। राशि ना केवल भारत के, बल्कि विदेशी बैंक खातों में भी मंगवाई। डरी-सहमी महिला प्रोफेसर ने ना केवल अपने सारे बैंक खाते खाली करके पैसे सायबर ठगों को दे दिए। बल्कि सायबर ठगों की डिमांड पूरी करने के लिए बैंक से भी 80 लाख रूपए का लोन लेकर ठगों को भेज दिए। जिसके बाद महिला प्रोफेसर तनाव में भी चली गई थी।

- सीबीआई ने यूपी के मुरादाबाद और मुंबई से दो-दो आरोपियों को गिरफ्तार किया
- पुलिस को 200 के करीब बैंक अकाउंट, चैक बुक, एटीएम कार्ड के अलावा 25 हजार आईपी एड्रेस मिले, पूछताछ जारी

एसी में शॉर्ट सर्किट से पीबीएम हॉस्पिटल के स्किन डिपार्टमेंट में आग लगी

बीकानेर, (निसं)। पीबीएम हॉस्पिटल के स्किन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मरीजों को तुरंत अन्यत्र शिफ्ट किया गया। गुरुवार सुबह अचानक एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के पास ही स्थित सुपर स्पेशियलिटी सेंटर से सटे स्किन डिपार्टमेंट में आग लगी है। यहां विभागाध्यक्ष डॉ. बी.सी. घीया के कमरे में से धुआं आता दिखाई दिया। इसके बाद आसपास के कमरों से भी धुआं निकला। आग बढ़ती इससे पहले ही मरीजों को शिफ्ट किया गया। आग के कारण कुछ सामान भी जल गया। एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग फर्नीचर तक नहीं पहुंची। आग सुबह लगी तो समय रहते, इस पर काबू पा लिया गया। अगर अस्पताल समय के बाद आग लगी होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी विभाग के पास आंखों का अस्पताल है, जहां पहली मंजिल पर बड़ी संख्या में रोगी भर्ती भी रहते हैं।

आग का धुआं देखने के साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने अंदर पहुंचकर कांच के शीशे तोड़ने शुरू किए तो ताकि धुआं बाहर निकल सके। पीबीएम हॉस्पिटल के कर्मचारियों और रोगियों के साथ आए परिजनों ने मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मौके पर दमकल भी पहुंच गई, जिसने जल्द ही आग पर काबू पा लिया।

चिकित्सा सचिव ने बीकानेर यात्रा के दौरान पूरे अस्पताल की लाइट फिटिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। शिशु अस्पताल में तो छोटी-बड़ी समस्याओं और लाइट फिटिंग को देखने के लिए सीनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी दी गई है।

- आग और धुआं उठते ही मरीजों को तुरंत अन्यत्र शिफ्ट किया
- आग के कारण कुछ सामान जला, आग फर्नीचर तक नहीं पहुंची, हादसा टला

बीकानेर में बूंदाबांदी होने से गर्मी से राहत मिली

बीकानेर, (निसं)। बीकानेर में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की आशंका जताई जा रही थी। एक बार तो पारा चढ़ा, लेकिन शाम होते-होते बीकानेर में बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। तापमान गिरने के साथ ही गर्मी से भी काफी राहत मिल गई।

मौसम विभाग ने बीकानेर के लिए "रेड अलर्ट" जारी किया था। इसके उलट शाम को मौसम सुहाना हो गया। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बाद मौसम बदलना शुरू हो गया। पारा जितनी तेजी से चढ़ा तो उतनी ही स्पीड से कम भी हो गया। पहले तेज हवा और अंधड़ की शुरुआत हुई। थोड़ी ही देर में हल्की बूंदें गिरने लगी। गंगानगर रोड पर आरटीओ ऑफिस के पास बारिश कम थी लेकिन शहर में तेज थी। नेशनल हाइवे और शहर के अंदर तक हल्की बूंदाबांदी ने गर्मी से छुटकारा दिलाया। इससे पहले देर रात बीकानेर में तेज हवाओं के साथ पहले अंधड़ शुरू हुआ और बाद में मामूली बूंदाबांदी हुई। ये सिलसिला एक बार रुक गया लेकिन देर रात फिर बूंदाबांदी हुई। गुरुवार सुबह छह बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। इससे दिन में एक बार गर्मी से राहत मिल गई है। उधर, मौसम विभाग ने बीकानेर में गुरुवार और शुक्रवार को तेज गर्मी होने की चेतावनी दी थी। न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी पारा बढ़ने की आशंका जताई थी।

महिला की मौत

निवाई, (निसं)। सदर थानान्तर्गत गांव राहोली में इवनिंग वॉक करती महिला के एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गई। परिजनों ने घायल अवस्था में महिला को सीधे जयपुर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उपचार के दौरान महिला की गुरूवार को मौत हो गई।

थानाधिकारी हीरालाल वर्मा ने बताया कि गांव राहोली निवासी मंजूलता (40)पत्नि सुरेश बैरवा इवनिंग वॉक कर रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गई। जयपुर में उपचार के दौरान महिला की गुरूवार को मौत हो गई। सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राज0)

क्रमांकः नपजा/स्टोर/2025/569 दिनांक : 16.04.2025

-:: ई निविदा सूचना संख्या 01/2025-26 ::-

यतः नगर परिषद, जालोर द्वारा विभिन्न सामग्री क्रय एवं सेवाओं में ईच्छुक एवं अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डर प्रकिया के अन्तर्गत निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। उक्त ई-निविदा की सम्पूर्ण विवरण/शर्ते ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in व https://sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखी तथा डानउलोड़ की जा सकती हैं।

Total Works	05
NIB CODE	DLB2526A0441

राज.संवाद/सी/25/893 आयुक्त, नगर परिषद, जालोर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- जोविप्रा/2025-26/EE HQ/163 दिनांक :- 15/04/2025

ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय/04/2025-26

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था जो निविदा की निर्धारित शर्तो को पुर्ण करती है से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.jodhpurjda.org, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. : JOD202526GLOB00020 अधिशाषी अभियंता
राज.संवाद/सी/25/871 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

RAJASTHAN HOUSING BOARD

No. :- 16 Dated :- 16/04/2025

NIB : 01/2025-26

Bids for 1. Development work for Mahi Apartment Sector-23, Pratap Nagar, Jaipur 2. Redevelopment of Sector-26, Shopping Center, Zone-266, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur 3. SITC Work of EPABX System, CCTV, Surveliance System, Video Conference System and Fire Alarm with Three year AMC at CM Jan Sunwai Kendra, Mansarovar, Jaipur 4. External Electrification and Street Light work of Samardhi Apartment II MIG-A (G+2) 39 Nos. Flats at Sector-22, RHB, Pratap Nagar, Jaipur 5. 02 Year AMC of 11 KV Package Substation and LT Panels Installed at Coaching Hub, RHB, Pratap Nagar, Jaipur are invited from interested bidders for S.No. 1 from 22.04.2025 to 12.05.2025 and for S.No. 2 to 5 from 22.04.2025 to 01.05.2025 upto 6:00 PM. Other particular of bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state & http://urban.rajasthan.gov.in/rhb Department Website. UBN No. :- RHB2526WSOB00021 To 24 & 26

Raj.Samwad/C/25/935 Addl. Chief Engineer-I

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक - बीविप्रा/स्टोर/2025-26/528 दिनांक :- 09/04/2025

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय की ई-बोली (दर संविदा) आमंत्रण क्रमांक 1/2025-26 दिनांक 09/04/2025 के क्रं.सं. 04 पर अंकित एयर कंडीशनर स्पलिट ए.सी.1.5 टन 3 स्टार या अधिक हेतु दर संविदा मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	मूल बोली अनुसार शर्त	संशोधन के अनुसार शर्त
	एयर कंडीशनर की बोली मे भाग लेने हेतु अधिकृत	
1	इच्छुक विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर	इच्छुक विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर/सब-डीलर
	स्पेशिफिकेशन विवरण पेज-7 की पंक्ति-6 एवं Annexure-F स्पेशिफिकेशन विवरण की पंक्ति संख्या 06	
2	Supplier shall quote minimum five star rated Ac.	Supplier shall quote minimum 3 star or more rated AC.

बोली की अन्य शर्ते मूल बोली अनुसार यथावत् रहेगी तथा शुद्धि पत्र www.sppp.gov.in and www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी (स्टोर) बीकानेर विकास प्राधिकरण
राज.संवाद/सी/25/829

लखनपुर थाना पुलिस की गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टकराई

नदबई/भरतपुर, (निसं)। नदबई-खेड़ली सड़क मार्ग पर गांव नयावास के समीप पुलिस वाहन चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। जब, आगे चल रहे दूसरे सरकारी वाहन को बचाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरते हुए पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान पुलिस वाहन में सात पुलिसकर्मी सवार थे, लेकिन पुलिस वाहन चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

विभागीय सूत्रों के अनुसार लखनपुर थाना पुलिस वाहन चालक नेमसिंह, बरौलीछार में विद्युत विद्युत लाइन डलवाने की प्रक्रिया कर पुलिस जाब्ता के साथ वापस लौट रहा था। इसी दौरान नयावास बस स्टैंड के समीप आगे चल रहे दूसरे सरकारी वाहन को बचाने की जुगत में पुलिस वाहन असंतुलित होकर खेत से नीचे उतरते हुए पेड़ से टकरा गया। अचानक असंतुलित होकर पुलिस वाहन को पेड़ से टकराने पर, मौजूद प्रशासन के अधिकारी सहित पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, गाड़ी में मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी। लेकिन, पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में मशक्कत कर लखनपुर थाना पुलिस की गाड़ी को नदबई लाया, जबकि, गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मियों को अन्य वाहन की सहायता से रवाना किया गया।

गौरतलब है कि, नदबई क्षेत्र के गांव बरौलीछार में कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट के लिए विद्युत लाइन डालने का कार्य होना था। लेकिन ग्रामीणों ने विद्युत निगम अधिकारियों पर मिलीभगत करने व निजी खातेदारी जमीन में विद्युत लाइन डालने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए तहसीलदार दीपा यादव सहित नदबई थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नदबई, लखनपुर, हलैना व उच्चैन थाने का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। तहसीलदार दीपा यादव ने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए निष्पक्ष सीमा ज्ञान करते हुए विद्युत लाइन डालने का आश्वासन दिया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में विद्युत लाइन डालने का कार्य पूर्ण हुआ। इससे पहले ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए 9 अप्रैल को भी भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में विद्युत पोल लगाने का कार्य किया गया। विद्युत लाइन डालकर लौटने दौरान ही लखनपुर पुलिस थाने के सरकारी वाहन से हादसा हुआ।

आपसी कहासुनी में तीन घायल

मालपुरा, (निसं)। मालपुरा शहरी क्षैत्र के इन्दिरा कॉलोनी निवासी दो पड़ोसियों में हुई कहासुनी खुनी संघर्ष में तब्दील हो गई। लाठीभाटा जंग में तीन जने घायल हो गये। एक गंभीर घायल को जयपुर रैफर किया है।

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात्रि को इन्दिरा कॉलोनी निवासी दो पड़ोसियों में छोटी सी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान दोनों पक्षो ने एक-दूजे पर लाठी भाटों से हमला कर दिया। दोनों के बीच हुई तकरार में कन्हैयालाल पुत्र रामजीलाल बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे मालपुरा जिला अस्पताल से चिन्ताजनक हालत मे जयपुर रैफर किया गया। वहीं दूसरे पक्ष के बनवारी लाल रेगर व उसकी पत्नी के भी गंभीर चोटें आने से मालपुरा जिला अस्पताल मे भर्ती करवाया गया। जहां उपचार जारी है। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सड़क हादसे में पति-पत्नी व पुत्र की मौत

मिनी बस व बाइक में भिड़ंत होने से हादसा हुआ

बौंली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के लालसोट-बौंली सड़क मार्ग पर पीपलदा कस्बे के पास गुरुवार को दोपहर एक मिनी बस व बाइक के बीच आमने-सामने से टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में पति-पत्नी व पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस की सहायता से बौंली चिकित्सालय लाया गया एवं प्राथमिक उपचार के बाद पिता व पुत्र को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया, जबकि पत्नी को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय रेफर किया गया। जहां तीनों की मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडावरी निवासी हमीद (50) व उसकी पत्नी मुमताज (45) एवं उनका पुत्र बादल (18) बाइक से बौंली की ओर आ रहे थे एवं बौंली से लालसोट की ओर मिनी बस जा रही थी। इसी दौरान मिनी बस ने पीपलदा कस्बे के पास बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। सूचना पर बौंली पुलिस एवं एंबुलेंस मौके पर पहुंची एवं सभी घायलों को बौंली चिकित्सालय प्राथमिक उपचार के बाद हमीद व उसके पुत्र बादल को अत्यधिक गंभीर होने पर जयपुर रैफर किया गया, जबकि मुमताज को सवाई माधोपुर जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है।

दुधवा क्रशर पर तोड़फोड़ मामले में दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया

खेतड़ी, (निसं)। मेहाड़ा पुलिस ने दुधवा में क्रशर पर तोड़फोड़ कर मंथली मांगने के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पुलिस ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि 27 मार्च को मोडी हाल क्रेशर पार्टनर अग्रवाल ग्रीट उद्योग दुधवा निवासी राजपाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि क्रेशर अग्रवाल ग्रीट उद्योग दुधवा पर एक बाइक आपाची आई, जिस पर तीन आदमी आए। तीनों के हाथों में हथियार थे। तीनों बाइक से उतरते ही बाहर बैठे मुनीम कैलाश के साथ गाली गलौच करते हुए लात घुसे से मारपीट की व क्रेशर को बंद करने की धमकी देकर बोले क्रेशर चलाना है तो 20 हजार रुपए मंथली देनी होगी। इस दौरान बदमाशों ने गोली मारी देने की धमकी भी दी। एसपी शरद चौधरी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी भजनाराम के नेतृत्व में टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू की। इस दौरान आस पास रास्तों व अन्य स्थानों पर लगे करीब 450 सीसीटीवी फुटेज खगांले गए एंव सायबर टीम की मदद से बदमाशों की तलाश आसपास व संभावित स्थानों व हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, गुजरात, सावरियां सेठ चितौडगढ़, भीलवाडा, जयपुर में दबिश देकर संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसी दौरान थानाधिकारी को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि वारदात के मुख्य आरोपी अहमदाबाद से ट्रेन में जम्मू जा रहे हैं तथा पैसे लेने के लिए निजामपुर रेल्वे स्टेशन आयेंगे। जिस पर गठित टीम द्वारा निजामपुर रेल्वे स्टेशन से दुधवा निवासी महावीर उर्फ हीरा गुर्जर, छोटेलाल उर्फ बादल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि बदमाशों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान टीम में थानाधिकारी भजनाराम, कांस्टेबल रोहिताश, रवि कुमार, प्रमोद कुमार, रोहिताश, महेंद्र, एचसी दिनेश कुमार, विक्रम, सुरेंद्र काजला आदि शामिल थे।

मेहाड़ा पुलिस ने दुधवा क्रशर पर तोड़फोड़ कर मंथली मांगने के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया।

- आरोपियों पर पुलिस ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था

रसद विभाग ने तीन सिलेण्डर जब्त किए

अजमेर, (कासं)। रसद विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध उपयोग की सूचना पर घरेलू गैस सिलेण्डरों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया। जांच दल द्वारा गुरूवार को तीन घरेलू एलपीजी सिलेण्डर जब्त किए गए। जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि मिलिट्री स्कूल के सामने जयपुर रोड़ पर कान जी कचौरी, सेन्ट्रल जेल के सामने श्याम स्वीट्स एवं श्री बाबा भोजनालय से एक-एक घरेलू एलपीजी सिलेण्डर जब्त किए गए।

मादक पदार्थ सहित एक गिरफ्तार

कोटपूतली, (निसं)। अवैध मादक पदार्थो के विरूद्ध अभियान चलाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत निरन्तर कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी-एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि ग्राम गोनेड़ा स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के पास से एक व्यक्ति धर्मपाल को 638 ग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा के साथ किया है।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर

दूरभाष-0145-249953,फैक्स-0145-2433813, Email- ajmermc@gmail.com, webajmermc.org

क्रमांकः HO/66 दिनांक :- 15.04.2025

निविदा-सूचना

नगर निगम, अजमेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 (4 माह हेतु) की समयावधि के लिए सफाई संसाधन जे.सी.बी. किराये पर मय वाहन चालक, डीजल सहित उपलब्ध करने के कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से बिड़ (निविदा) आमंत्रित की जाती है। NIB निम्नलिखित वेबसाईटों www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in डाउनलोड की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय	2 प्रतिशत अमानत राशि
1	वित्तीय वर्ष 2025-25 (4 माह हेतु) की समयावधि के लिए सफाई संसाधन जे.सी.बी. किराये पर मय वाहन चालक, डीजल सहित उपलब्ध करने के कार्य हेतु।	89,79,000/-	1,79,580/-
निविदा शुल्क राशि		5,000/-	
आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस		1500/-	
निविदा प्रपत्र प्रकाशन की दिनांक व समय		15.04.2025 सायः 5.00 बजे	
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय		15.04.2025 सायः 5.00 बजे से प्रारंभ	
निविदा आर्नलाईन भरकर देने की दिनांक व समय		15.04.2025 सायः 5.00 बजे से प्रारंभ	
निविदा आर्नलाईन भरकर देने की अंतिम दिनांक व समय		24.04.2025 प्रातः 9.00 बजे तक	
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय		24.04.2025 दोपहर 3.00 बजे तक	
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय		तकनीकी बिड़ के सफलतम निविदादाताओं को नेट के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।	
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की वेबसाईट		www.eproc.rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in	

1. शेष शर्तो की जानकारी निम्नलिखित वेबसाईट www.ajmermc.org, www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

राज.संवाद/सी/25/908 स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, अजमेर उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

काम धंधा नहीं मिलने के कारण तनाव और शराब के नशे में तोड़ी मूर्ति

बजाज नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर पूर्व ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाल कोठी सब्जी मंडी में शिवजी मंदिर की मूर्तियां तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

- शिवजी मंदिर की मूर्तियां तोड़ने का मामला
- पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर पूर्व (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 11 अप्रैल को थाना इलाके के लाल कोठी सब्जी मंडी में शिवजी मंदिर की मूर्तियां तोड़ने की हुई घटना का पर्दाफाश कर मूर्तिया तोड़ने वाला आरोपति राजेश राव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि बजाज नगर थाना पुलिस और पूर्व डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 11 अप्रैल को थाना इलाके के लाल कोठी सब्जी मंडी में शिवजी मंदिर की मूर्तिया तोड़ने वाले आरोपी राजेश राव (37) निवासी सूरवाल जिला सवाई माधोपुर हाल चोखी ढाणी जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजेश राव से पूछताछ में सामने आया कि वह 10-15 दिन पहले गांव से जयपुर आया था और काम धंधा नहीं मिलने के कारण तनाव में चल रहा था। इसके चलते 11 अप्रैल की सुबह ही शराब का नशा कर लिया और फिर वह लाल कोठी सब्जी मंडी में शिव जी के मंदिर में चला गया। वहा बैठ कर वह एक बार जोर जोर से रोने लगा और फिर भगवान की तरफ देख कर कहने लगा कि तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया और फिर भी आप मुझसे नाराज रहते हो। इसके बाद मंदिर में रखी एक टाईल से शिव जी व पास में लगी भगवान की मूर्तियों को तोड़ कर दुर्गापुरा चल गया। जहां से ट्रेन में बैठकर गांव चला गया था जहाँ से वापस ही जयपुर आ गया था और अपने जानकार के पास शराब पीने चला गया। जिला विशेष टीम जयपुर पूर्व,सीएसटी व थाना बजाज नगर की टीमो का गठन किया गया। जहां गठित टीम के सदस्यों ने दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए ट्रेडिशनल पुलिसिंग करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो एक संदिग्ध आदमी मंदिर के अन्दर से निकलता हुआ नजर आया। उक्त संदिग्ध व्यक्ति की तलाश के लिए घटनास्थल से अलग-अलग रूटों पर अलग-अलग टीमों को टास्क दिया गया तथा टीमों द्वारा लगातार 6 दिन तक घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की वीडियो फुटेज चेक करते हुए संदिग्ध आरोपी का रूट मैप तैयार किया जाकर सैकड़ों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे गये तथा आस पास मंडी में काम करने वाले मजदूरों, टोंक फाटक पर मजदूरों की चौकटी पर संदिग्ध हुलिया के व्यक्ति के तस्वीर दिखाई तथा अंग्रेजी शराब ठेकों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो संदिग्ध हुलिया का व्यक्ति की पहचान की गई। तत्पश्चात टीम के सदस्यों ने दिन रात शराब ठेकों के आसपास रेकी करके निगरानी रखते हुए आरोपी राजेश राव को गिरफ्तार किया गया।

नवीन आवासीय योजनाओं को लेकर मण्डल में तैयारियाँ तेज

आवासन मंडल की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने बैठक ली।

- कार्यप्रगति की समीक्षा के साथ दिए आवश्यक दिशा निर्देश
- जयपुर में भी आयेगी विभिन्न आय वर्ग के लिए आवासीय योजना

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान आवासन मण्डल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए अविराम प्रयासरत है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति में अप्रैल और मई माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों-जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ई डब्लू एस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी के साथ ही अटरू, गजनपुरा, नैनवा, लाखेरी और धौलपुर में भी विभिन्न आवासीय योजना जल्द शुरू की जायेंगी। इसी के साथ ही जैसलमेर तथा नीमराना के करीब शाजहानपुर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है।

इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने अहम बैठक ली। डॉ शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंसानुरूप आवासन मण्डल आम जन के आवास के सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने अभियंताओं एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच प्राथमिकता के साथ पूरा करें साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। डॉ शर्मा ने कहा कि चाहे ई नीलामी हो या आवासीय योजना, सैंकड़ों आवेदन और नीलामी द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल संपत्तियों में निवेश एवं घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है। हमे हरसंभव प्रयास करना है कि हम इस प्रथम पायदान पर बने रहें और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें।

उल्लेखनीय है कि जयपुर के सेक्टर -26 प्रताप नगर तथा सेक्टर 5 मानसरोवर में भी आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए 2 नई योजनाएं लाने जा रहा है

बैठक में सचिव डॉ अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी एस मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर सहित समस्त उच्च अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।

संस्कृत गौरव के संवाहक बनें विद्यार्थी : बिरला

- जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का सप्तम दीक्षांत समारोह

जयपुर। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के सप्तम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राजस्थान के शिक्षा एवं पचायत राज मंत्री मदन दिवानर ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उपाधियाँ और स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बिरला ने कहा संस्कृत केवल परंपरा की नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैचारिक स्पष्टता की भी भाषा है। भारत आज योग, आयुर्वेद और दर्शन के माध्यम से विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा है और ऐसे समय में संस्कृत को नई पीढ़ी से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जब विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में संस्कृत पर शोध हो रहे हैं, तब भारत में भी इसे नवाचार, तकनीक और डिजिटल युग से जोड़ना समय की मांग है। विश्वविद्यालय द्वारा योग को तकनीकी दृष्टिकोण से पढ़ाने, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की गई।

बिरला ने यह भी स्मरण कराया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रद्धेय भैरोंसिंह शेखावत ने पूज्य नारायणदास महाराज की प्रेरणा से किया था। उन्होंने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और संस्कृत भाषा के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

अवैध हथियारों के साथ रीट पास अपराधी गिरफ्तार

- देशी पिस्टल-कट्टा,दो जिंदा कारतूस और एक चौपहिया वाहन जब्त

जयपुर। जयपुर जिला दक्षिण में अवैध हथियारों के खिलाफ चल रही ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत महेश नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक युवक को अवैध देशी पिस्टल, कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक चौपहिया वाहन सहित गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़ा गया युवक शैक्षिणक रूप से मेधावी है और हाल ही में रीट की परीक्षा भी पास कर चुका है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि जयपुर दक्षिण जिले में अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर सभी थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में महेश नगर थाना प्रभारी गुंजन सोनी के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि महेश नगर थाने के कांस्टेबल श्याम सिंह को सूचना मिली कि त्रिवेणी पुलिया के नीचे एक सफेद रंग की फ्रॉन्क्स कार में एक युवक अवैध हथियारों के साथ मौजूद है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक श्रीचंद के नेतृत्व में टीम ने कार सवार युवक राज डागुर (20), निवासी गांव हतीजर थाना हलैना जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक कट्टा, दो जिंदा कारतूस और सफेद रंग की फ्रॉन्क्स कार बरामद की। इस संबंध में महेश नगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा कर जांच में जुटी है।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने 10वीं में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और हाल ही में रीट की प्रारंभिक परीक्षा भी पास की है। लेकिन पुराने दोस्तों से हुए विवाद के चलते वह गलत संगत में पड़ गया और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया।

राज डागुर पर पहले से ही अटल बंद थाना, भरतपुर में हत्या और हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें चालान भी पेश किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस यह जानने में जुटी है कि हथियार कहां से लाया गया, और किस वारदात को अंजाम देने की योजना थी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी के साथ और कौन-कौन जुड़ा हुआ है।

अधिकारी अधिक-से-अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : गोदारा

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को मंत्रालय भवन में दोनों विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा की विभागीय अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रभावी निरीक्षण करें एवं क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को चिन्हित कर त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सक्रियता से काम न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गोदारा ने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष नवंबर से संपन्न लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में इस अभियान का व्यापक असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान के द्वारा अपात्र लोगों के खाद्य सब्सिडी छोड़ने से सरकार को जो अन्न की बचत होगी वह गरीब का निवाला बनेगा। इससे बड़ी गरीब की सेवा नहीं हो सकती। इस अभियान में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा की अधिकारी सप्ताह में न्यूनतम 3 दिन आवश्यक रूप से फील्ड में दौरा कर नि:शुल्क राशन की दुकानों का निरीक्षण करें।

मंदिरों एवं अन्य भवनों की मरम्मत के दौरान मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाए : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की बिल्डिंग एवं स्पेशल स्कीम खंड के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने, समय पर साथ कार्य पूर्ण करने एवं मेंटेनेंस की प्रभावी योजना तैयार करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को बढ़ावा देने के साथ भवन निर्माण में सौर ऊर्जा के उपयोग तथा जल संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता देने के दिशा-निर्देश दिये।

इसके अतिरिक्त, मंदिरों एवं अन्य विरासत स्थलों के जिर्णोद्धार कार्यों के दौरान उनके मूल स्वरूप को बरकरार रखने के लिए भी निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि मंदिर और अन्य स्थल वर्षों पहले स्थानीय सामग्री एवं स्थानीय शिल्प कला का उपयोग करके बनवाए गये हैं। इनकी मरम्मत के दौरान उसी सामग्री एवं शिल्प कला का ध्यान रखा जाये।

जयपुर फुट की निर्माता संस्था ने इस वर्ष डेढ़ लाख दिव्यांगों का पुनर्वास किया

जयपुर। जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने वर्ष 2024-25 में देशभर में लगभग डेढ़ लाख दिव्यांगों का पुनर्वास किया।

समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर.मेहता ने बताया कि वर्ष 2024-24 में कुल 149231 दिव्यांगों को कृत्रिम पैर (जयपुर फुट), कैलीपर्स, व्हील चेयर, तिपहिया, ट्राइ साइकिल, बैसाखी और श्रवण यंत्र उपलब्ध कराये। समिति इस वर्ष में जयपुर और देश भर के अपने 34 केंद्रों की मार्फत 43722 कृत्रिम पैर (जयपुर फुट) दिव्यांगों को लगाकर उन्हें चलने फिरने योग्य बनाया। डी.आर.मेहता ने कहा कि विश्व की कोई भी विकलांग पुनर्वास संस्था एक वर्ष में जहां चार हजार विकलांगों का पुनर्वास नहीं कर पाती, वहीं समिति ने एक लाख 49 हजार 231 विकलांगों का पुनर्वास किया, जो एक अद्भुत उपलब्धि है।

मेहता ने बताया कि भारत के अलावा जयपुर फुट के पदचिन्ह विश्व के 44 देशों में देखे जा सकते हैं, जिससे विदेशों में जयपुर फुट ने देश का गौरव बढ़ाया है। विदेशों में लगभग 44 हजार विकलांगों का पुनर्वास किया गया है।

मेहता ने बताया कि देश भर में समिति के कार्मिकों की निष्ठा और सेवा के कारण ही वर्ष 2023-24 में जहां एक लाख नौ हजार 562 विकलांगों का पुनर्वास हुआ था उसे बढ़कर लगभग डेढ़ लाख की संख्या को वर्ष 2024-25 में छुआ जा सका है, जो समिति के द्वारा दिये गये एक लाख पच्चीस हजार के लक्ष्य की संख्या से कही अधिक हैं। उन्होंने बताया कि समिति अपनी स्वर्ण जयंती पर हर विकलांग का पुनर्वास करने का प्रयास करेगी।

सांगानेर खुली जेल से दो बंदी भागे

जयपुर। मालपुरा गेट थाना इलाके में स्थित सांगानेर खुली जेल से दो बंदियो के भागने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फरार कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। रोल-कॉल करने पर जेल प्रशासन को बंदियो के फरार होने का पता चला। जेल प्रशासन की ओर से फरार कैदियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि डॉ. संपूर्णानंद बंदी खुला शिविर के जेल प्रहरी ने मामला दर्ज करवाया है कि फरार कैदी सद्दाम और मोहनलाल हैं। जो सांगानेर खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। दण्डित बंदी सद्दाम और मोहन लाल रोल कॉल के समय मौजूद नहीं मिले। दोनों कैदियों को उनके आवास और आस-पास तलाश किया,। लेकिन वह गायब मिले। उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ मिला। दण्डित बंदी के फरार होने की सूचना जेल अफसरों को दी गई। जेल प्रशासन की ओर से थाने में फरार बंदियो के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया।

चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर एक्वाडक्ट बनेगा

- निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मिली स्वीकृति
- नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण कार्य भी शीघ्र होगा शुरू

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से महत्वाकांक्षी संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 9 हजार 400 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जाकर योजना की क्रियान्विति शुरू हो गई है।

इसके प्रथम चरण के पैकेज-2 में 2 हजार 330 करोड़ रुपए से चम्बल नदी को पार करने के लिए नदी पर एक्वाडक्ट बनेगा। चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट करीब 2.3 किलोमीटर लम्बाई में बनेगा। यह एक छोर में पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में गोहाटा गांव से जुड़ेगा। एक्वाडक्ट के माध्यम से कालीसिंध से पानी लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। साथ ही, नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए आवश्यक 328 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति का अवार्ड शीघ्र जारी कर प्रभावितों को जल्द नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

एक्वाडक्ट निर्माण में वन्यजीव सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। साथ ही, 24.05 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अंतिम चरण में है। कार्यस्थल पर संबंधित एजेंसी द्वारा कैम्प स्थापित कर लिया गया है। चम्बल एक्वाडक्ट के लिए कास्टिंग यार्ड, बैचिंग प्लांट इत्यादि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्यों की मजबूती के लिए सर्वे और अनुसंधान पूर्ण कर डिजायन/ड्राइंग तैयार कर ली गई है।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित पीकेसी का कार्य प्रगतिरत है। इसमें एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य समयबद्ध और मजबूती से पूर्ण हो, इसकी सुनिश्चिता की जाएगी।

'हीट वेव एक्शन प्लान की केन्द्र व राज्य सरकार जानकारी दें'

हाईकोर्ट ने गत वर्ष मई में एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे, पर दस माह बाद भी कोई प्लान नहीं बना

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में हीट वेब व जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय आपदा प्रबंधन और राज्य के सीएस, एसीएस गृह व एसीएस वित्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने सीएस को निर्देश दिए हैं कि वे हीट एक्शन प्लान व स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को मजबूत करने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति के लिए सभी विभागों को साथ लेकर एक समन्वय समिति बनाए। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि समान मामले में गत वर्ष मई माह में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया और सरकार को निर्देश जारी किए, लेकिन करीब दस माह बीतने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया गया। यहां तक की सडकों पर पानी की छिडक़ाव करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई और ना ही सडक़ों पर छाया स्थल विकसित किए गए। इसके अलावा लू से बचाव के लिए ओआरएस पैकेट, आम पन्ना आदि का वितरण भी नहीं किया गया। सरकार की ओर से अभी तक हीट एक्शन प्लान तक नहीं बनाया गया। अदालत ने कहा कि प्रदेशवासियों के साथ पशुवत व्यवहार नहीं किया जा सकता और अदालत आंख बंद कर नहीं रह सकती है।

अदालत ने कहा कि राजस्थान का तापमान दिन-प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। आगामी ग्रीष्म काल जन स्वास्थ्य, लू और हीट स्ट्रोक के मामले एक बडी चुनौती है। ऐसे में राज्य सरकार को हीट वेव और हीट स्ट्रोक से मुक्त रखने के लिए सभी स्तरों पर उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है। अदालत ने केन्द्र सरकार के एएसजी आरडी रस्तोगी, राज्य के एएजी और अन्य वकीलों को कहा है कि वे इस मामले में अदालत को सहयोग करे।

अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार से कहा है कि क्यों ना राज्य के प्रत्येक जिले में रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण तथा जनहित में हरित सार्वजनिक स्थान बनाए जाए। वहीं क्यों ना हीट एवं कोल्ड वेव से होने वाली मृत्यु की रोकथाम विधेयक, 2015 को अधिनियम के रूप में क्रियान्वित करने व उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

अदालत ने यह भी पूछा है कि क्यों ना हीटवेव के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार सहित सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे आगामी सुनवाई 24 अप्रैल को अंतरिम निर्देशों की पालना के लिए उठाए कदमों की रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने पूर्व में दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि हीटवेव रोगियों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जाए। वहीं खुले में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए परामर्श जारी करें, ताकि उन्हें अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच आराम करने की अनुमति दी जा सके।

हीटवेव को देखते हुए दवाओं की हो समुचित उपलब्धता : नेहा गिरी

- अनियमितता पर डूंगरपुर जिला औषधि भण्डार के प्रभारी अधिकारी को नोटिस

जयपुर। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि ने जिला एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह के समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हीटवेव की संभावित स्थितियों को देखते हुए आवश्यक औषधियों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। दवाओं की मांग एवं आपूर्ति में किसी भी प्रकार का गेप नहीं रहे। सभी चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो।

गिरि ने गुरूवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए कि औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मांग, आवश्यकता एवं फीडबैक का गहन परीक्षण कर अनुमोदित आपूर्तिकर्ता फर्मों को क्रय आदेश जारी किये जाने एवं शीघ्र आपूर्ति हेतु संबंधित फर्मों से समन्वय किया जाए। समस्त प्रभारी अधिकारी फीडबैक मात्रा का परीक्षण कर ही क्रय आदेश मात्रा भिजवायें, जिससे औषधियों की कमी एवं अधिकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

प्रबंध निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक मांग में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, डूंगरपुर एवं संबंधित चिकित्सा संस्थाना को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भण्डार गृहों में शत-प्रतिशत औषधियां उपलब्ध करवा कर रोगियों को राहत पहुंचाई जाए। योजना के सफल क्रियान्वन हेतु समस्त प्रभारी अधिकारी संबंधित जिलें में चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें। महंगी औषधियों की सघन मॉनिटरिंग करें तथा इससे संबंधित रिकॉर्ड का संधारण किया जाना सुनिश्चित करें।

गर्भवती महिला की हत्या का पर्दाफाश, पति और प्रेमिका गिरफ्तार

पुलिस ने घटना स्थल का मोबाइल फोरेंसिक यूनिट से निरीक्षण करवाया था

अजमेर, (कासं)। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के डोडियाना गांव में गर्भवती विवाहिता की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे अंदर पर्दाफाश कर दिया। प्यार में बाधक बनी पत्नी को पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर मारने की प्लानिंग बनाई और फिर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पति और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है।

मांगलियावास थाना प्रभारी एसआई रामस्वरूप ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डोडियाना में रहने वाली गर्भवती शोभादेवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौके पर जाकर देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और जीभ बाहर निकली हुई थी। गले पर भी निशान थे। एसआई रामस्वरूप ने बताया कि डोडियाना में 14 अप्रैल एक गर्भवती महिला शोभा की हत्या हो गई है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी भजन गायक शिवजी और उसकी प्रेमिका रेखा को गिरफ्तार कर लिया।

पत्नी की हत्या के मामले में पति और प्रेमिका को गिरफ्तार किया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और रेखा 5 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों शादी करना चाहते थे। इसलिए पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की थी। हत्या के बाद प्रेमिका को कॉल कर कहा कि हमारी योजना के अनुसार पत्नी को मार दिया है। आरोपी ने अपने ससुराल वालों और परिवार को गुमराह करने के लिए कभी हार्टअटैक और कभी सुसाइड करने की बात कही। पुलिस को भी बार-बार गुमराह करता रहा। जब सख्ती से पूछताछ की तो प्रेमिका के साथ वारदात करना कबूला।

मृतक शोभा देवी के परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए पिता अमराराम ने 15 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने शक जाहिर किया कि दामाद का रेखा नाम की महिला से प्रेम प्रसंग है। पुलिस ने घटना स्थल का मोबाइल फोरेंसिक यूनिट से निरीक्षण करवाया था। उसके बाद जेएलएनएच अजमेर से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया था। आरोपी पति 13 अप्रैल की शाम को अपने परिवार वालों को भजन संध्या में केसरपुरा जाने की बात कहकर निकल गया। उसी रात एक बजे के करीब अपने घर आया और छत पर सो रही पत्नी को जगाकर बातचीत की। इस बीच कपड़े के गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी गर्भवती थी।

- **महिला के पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर बनाई थी योजना**

उधार में खाना नहीं देने पर होटल कर्मचारियों से मारपीट

बदमाशों ने कर्मचारियों के सिर फोड़ दिए, होटल में जमकर तोड़फोड़ मचाई

सिंघाना, (निसं)। कस्बे में एक बार फिर बदमाशों का खौफ देखने को मिला है। एक होटल के कर्मचारियों द्वारा बदमाशों को खाना ना देने पर बदमाशों ने ना केवल कर्मचारियों के सिर फोड़ दिए, बल्कि होटल में जमकर तोड़फोड़ मचाई। घटना की एफआईआर दर्ज करवाई तो भी बदमाश लगातार धमकी देकर जान से मारने की बात कह रहे है। दहशत में आए होटल मालिक ने अपना होटल बंद कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक मिश्रावाली ढाणी निवासी मुकेश सैनी ने बुहाना बस स्टैंड पर एक होटल कर रखा है। 14 अप्रेल को दिन के समय कुछ युवक आए। जिन्होंने खाना पैक करने की बात कही। पैसे की बात आई तो युवकों ने किसी अन्य युवक से फोन पर बात कराई। फोन पर जिस युवक की बात कराई। उसने अपना नाम सचिन उर्फ छोटू गुर्जर बताया। उसने कहा कि इन लड़कों को खाना पैक करके दे दे। होटल के कर्मचारी ने छोटू गुर्जर का पहले भी पैसे बकाया होने की बात कही और खाने के लिए मना कर दिया। तो तैश में आए युवक चले गए और दुबारा आने की बात कही। रात को करीब 10 बजे सचिन उर्फ छोटू गुर्जर निवासी जैसाराम की ढाणी भोदन तथा अर्जुन उर्फ मोरिया नायक निवासी सिंघाना अपने साथियों के साथ आए और आते ही होटल के कर्मचारी कृष्ण सैनी व शेरसिंह सैनी पर लाठियों से हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ वार करने के अलावा आरोपियों ने होटल में भी तोड़फोड़ मचाई। इसके बाद वे चले गए। कृष्ण सैनी और शेरसिंह सैनी को मौके पर पहुंचे होटल मालिक मुकेश के भाई मंगेजाराम ने अस्पताल पहुंचाया। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के दौरान होटल मालिक जयपुर किसी काम से गया हुआ था। इसलिए मुकेश के भाई मंगेजाराम ने 15 अप्रेल को सिंघाना थाने में छोटू गुर्जर मोरिया व उसके अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसकी जानकारी जब बदमाशों को लगी तो वे मुकेश को धमकी देने लगे। राजेश पाटन नाम के बदमाश ने मुकेश को फोन पर धमकी देकर कहा कि उसे यदि सिंघाना में होटल चलाना है। तो मंथली देनी होगी। वरना ताला लगा दे। यही नहीं उसने मुकेश एक अन्य होटल तथा उसके भाई की बाइक रिपेयरिंग की दुकान को आग लगाने की धमकी दी है। साथ ही घर के कुत्ते तक को मारने की धमकी दी है। एक तरफ मुकेश को लगातार बदमाश बेखौफ होकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मंथली मांग रहे हैं। एफआईआर वापिस लेने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिससे नाराज व्यापारियों ने बैठक गुरूवार शाम को हुई। एसएचओ को मौके पर बुलाकर उन्हें ज्ञापन देकर दो दिन का समय दिया है। यदि दो दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो सिंघाना बंद की चेतावनी दी है।

- **मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद**

11 डंपरों को जब्त कर 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ीनगर में पुलिस थाने के सामने परिवहन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गुरूवार को 11 वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 5 ओवरलोड डंपरों को जब्त किया है। इस दौरान 15 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है।

परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पुलिस, परिवहन व खनिज विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत परिवहन विभाग की ओर से अलग-अलग टीमें लगाकर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की टीम ने सिंघाना से खेतड़ी जाने वाले स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान खेतड़ी के खनन क्षेत्र से ओवरलोड पत्थर व डस्ट लेकर आ रहे पांच ओवरलोड डंपर वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा बिना फिटनेस, वाहन टैक्स चोरी के मामले में 11 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि खेतड़ी का खनन क्षेत्र होने के कारण यहां ओवरलोडिंग वाहनों का आवागमन सबसे अधिक होता है, जिसको लेकर विभाग की अलग-अलग टीम बनाकर अलग-अलग क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस पर विभाग की ओर से जुर्माना वसूल किया गया था। इस कार्रवाई से विभाग को 15 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ओवरलोड डंपरों का संचालन अधिक होने के चलते आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों कीओर से भी समस्या को लेकर अवगत करवाया गया था। इस संबंध में अभियान में और तेजी लाकर प्रभावी कार्रवाई कर ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाया जाएगा। इस दौरान पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से जब्त किए गए वाहनों को खेतड़ी नगर थाने में खड़ा करवाया।

ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की।

ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

भीलवाड़ा, (निसं)। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत प्रस्तावित पंचायत पुनर्गठन में ग्राम लांगरों का खेड़ा उर्फ अश्यापुर को नीम ग्राम पंचायत में शामिल करने का विरोध ग्रामीणों ने किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि गांव को पूर्ववत धुंवाला ग्राम पंचायत में ही रखा जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि लांगरो का खेड़ा शुरू से धुंवाला पंचायत का हिस्सा रहा है, जबकि नीम पंचायत गांव से 9-10 किलोमीटर दूर है। वहां तक कोई सीधी सड़क या आवागमन की सुविधा नहीं है, जिससे आमजन, विशेषकर महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र-छात्राओं को परेशानी होगी। गांव की अधिकांश कृषि और आवासीय भूमि, श्मशान घाट, चरागाह भूमि तथा सामाजिक जुड़ाव धुंवाला पंचायत से है। नीम पंचायत में शामिल करने से भविष्य में पशुपालन, नरेगा कार्य और अन्य सुविधाओं में बाधा आ सकती है। ग्रामीणों ने आग्रह किया है कि प्रस्तावित पुनर्गठन को रद्द करते हुए ग्राम लांगरों का खेड़ा को पूर्ववत धुंवाला ग्राम पंचायत में ही शामिल रखा जाए।

चलते कंटेनर में आग लगी, चालक ने कूदकर जान बचाई

भीलवाड़ा, (निसं)। अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग हाइवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। हालांकि चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। जैसे ही ट्रक ने आग पकड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।

- **गुजरात में पंजीकृत कंटेनर दिल्ली के आस-पास से पार्सल लदान कर गुजरात जा रहा था**
- **कंटेनर में भरे पार्सल में क्या सामान था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है**

मांडल थाना पुलिस ने बताया कि गुजरात में पंजीकृत एक कंटेनर दिल्ली के आस-पास से पार्सल का लदान कर गुजरात जा रहा था। यह कंटेनर गुरुवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे अजमेर-भीलवाड़ा हाइवे पर रायसिंहपुरा पुलिया के नजदीक पहुंचा था कि कंटेनर के इंजन से अचानक धुंआ निकलने लगा। यह देखकर चालक ने कंटेनर को साइड पर लेकर खड़ा कर दिया और खुद बाहर निकल आया। उधर, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आस-पास मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में दमकल विभाग को सूचना दी। नगर निगम से एक दमकल मौके पर पहुंची, जिसकी मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास किये, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ऐसे में एक और दमकल को मौके पर भेजा गया। बताया गया है कि कंटेनर में पार्सल लदे हुये थे। इन पार्सल में क्या सामान था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। वहीं दूसरी और आग की सूचना पर मांडल पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस दौरान सड़क के दोनों और वाहनों की कतारें लग गई मांडल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाने के प्रयास किया।

मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया।

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी

भीलवाड़ा, (निसं)। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) के एक मौलाना शाकिर रजा के माध्यम से 40 परिवारों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

धोखाधड़ी का आरोपी युवक मोइनुद्दीन छीपा जूनावास भीलवाड़ा का रहने वाला है, जिसकी तलाश में अब यह परिवार भीलवाड़ा में भटक रहे हैं। ठगी का शिकार हुए मौलाना विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने पैसे ऐंठने वाले युवक की तलाश में तीन दिन से दर-दर भटक रहे हैं।

पीड़ित मौलाना ने अपनी पीड़ा बताई कि कैसे उसके साथ ठगी की वारदात हुई और किस तरह उसके माध्यम से दूसरे लोगों को भी बदमाश आरोपी मोइनुद्दीन उर्फ इलियास ने अपना शिकार बनाया।मौलाना शाकिर ने बताया कि वर्ष 2024 में मोइनुद्दीन उर्फ छिपा निवासी भीलवाड़ा ने उससे संपर्क किया। उसे बड़े ख्वाब दिखाए, जिसमें एक साल में करोड़पति बनने का सपना दिखाया। कोम की तरक्की के लिए युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की बात कही।

22 मवेशियों की मौत, पशुपालक को लाखों का नुकसान

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड के जसरापुर में रूंज के पेड़ की फली खाने से 22 मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद पशुपालकों को लाखों रूपए का नुक़सान हो गया।

जानकारी के अनुसार जसरापुर से नंगली सलेदीसिंह जाने वाली सड़क के किनारे महावीर सिंह शेखावत के खेत में रुंज का पेड़ लगा हुआ है। भेड़ बकरी पालक रामजीलाल और जयनारायण जसरापुर के डोबड़ा की ढाणी ने बताया कि वे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान रुंज के पेड़ की सूखी फली खाने के बाद भेड़-बकरियां बीमार हो गई और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर जमीन पर गिरने लगीं। इसके बाद एक के बाद एक 20 भेड़ तथा दो बकरियों की मौत हो गई। मवेशियों की अचानक मौत हो जाने से पशु पालक सकते में आ गए तथा आसपास के ग्रामीणों को मौके पर बुलाकर जानकारी दी गई। इसके बाद पशु चिकित्सक डॉ. योगेश आर्य और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर भेड़ बकरियों का इलाज शुरू किया, लेकिन 20 भेड़ों और 2 बकरियों की मौत हो गई। गंभीर रूप से बीमार 8 भेड़ों को ग्लूकोज और दवाइयां दी गईं, जिससे उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है। भेड़ बकरी पालक ने बताया कि भेड़ बकरियों का पंजीकरण तो करा रखा है, लेकिन पशु बीमा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस घटना से करीब चार लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान मौके पर पहुंचे उम्मेद सिंह, भैरुसिंह, राजपाल सिंह, काशीराम, गोपीराम, वीर सिंह, बिजेश कुमार, विक्रम, रवि, गुरप्रीत, अंकित ने प्रशासन से पीड़ित की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुआवजा देने की मांग की है।

पशु चिकित्सक टीम ने मौके पर पहुंचकर भेड़ बकरियों का इलाज किया।

अजमेर दरगाह मंदिर विवाद : अंजुमन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अंजुमन की याचिका पर आपत्ति जताई

अजमेर, (कासं)। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर अजमेर कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने को लेकर दरगाह में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वकील ने अंजुमन की याचिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

- **दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की**

हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका पर अंजुमन के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह और वागीश कुमार सिंह ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं कि देशभर की किसी भी अदालत में ऐसे मामलों की सुनवाई पर फिलहाल रोक रहेगी।

इसके बावजूद अजमेर की सिविल कोर्ट में इस तरह की सुनवाई हो रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अंजुमन की याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अंजुमन उस सिविल केस में पक्षकार नहीं है, इसलिए उसे हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह याचिका प्रारंभिक तौर पर सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है।

नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन से अवैध जल कनेक्शन पकड़ा

सायला, (निसं)। सायला उपखण्ड क्षेत्र के रेवतड़ा गांव स्थित हिरानी रिसोर्ट में नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन पर अवैध जल कनेक्शन पाये जाने पर प्रशासन द्वारा अवैध कनेक्शन काटकर करीब 23 लाख रूपये शास्ति प्रत्यारोपित कर अवैध कनेक्शनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई।

जानकारी के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी, सहायक अभियन्ता रूपेन्द्रसिंह एवं कनिष्ठ अभियन्ता कौशल कुमार के द्वारा पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में वीराना-रेवतड़ा मार्ग पर स्थित हिरानी रिसोर्ट में अवैध जल कनेक्शन की जांच करने पर रेवतड़ा से वीराना जाने वाली नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन साइड 150 एमएम डीआई पर 40 एमएम साइड का अवैध कनेक्शन पाया गया। मौके पर इस अवैध कनेक्शन के पानी से टैंकर भरकर बेचना, स्विमिंग पूल, फार्म हाउस एवं खेती के कार्यों में डीजल जनरेटर सेट से उपयोग करना पाया गया, जिस पर इस अवैध कनेक्शन को काटकर मौके से अवैध कनेक्शन में प्रयुक्त वाटर टैंकर क्षमता लगभग 450 लीटर तथा डीजल जनरेटर सेट जब्त करते हुए पानी चोरी की शास्ति 23,63,386 रूपये प्रत्यारोपित की गई। साथ ही अवैध कनेक्शनकर्ता शैलेश पुत्र सालगराम उर्फ हपजी राजपुरोहित एवं कैलाश कुमार पुत्र सालगराम उर्फ हपजी राजपुरोहित निवासी रेवतड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की गई।

रेवतडा में नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन से अवैध कनेक्शन को प्रशासन की टीम ने काट दिया।

पुष्कर के सावित्री मंदिर पर लगे रोप-वे में फंसे तीन श्रद्धालु, सुरक्षा कर्मियों ने बचाया

पुष्कर, (निसं)। सिविल डिफेंस टीम, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से पुष्कर के सावित्री माता रोप-वे पर मॉकड्रिल की। इस दौरान तीनों टीमों के 70 जवानों ने करीब 100 फीट ऊंचाई पर अटकी रोप-वे केबिन में फंसे तीन श्रद्धालुओं (रोप-वे कार्मिकों) को रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर सुरक्षित नीचे उतारने का पूर्वाभ्यास किया।

इस मौके पर पुष्कर एसडीओ गौरव कुमार मित्तल समेत सभी विभागों के अधिकारी व कार्मिक मौजूद थे। बीते छह महीने के अंतराल में रोप-वे पर तीसरी बार मॉकड्रिल की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम के सदस्यों ने संसाधन के साथ सावित्री माता पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे तथा निर्धारित पॉइंट पर अपना सेटअप बिछाया। सुबह 10 बजे एसडीओ गौरव मित्तल के निर्देशन में जवानों ने रोप-वे की। बीच रास्ते में अटकी केबिन में फंसे श्रद्धालुओं के रूप में सवार तीन रोप-वे कार्मिकों को बचाने का पूर्वाभ्यास शुरू किया। इसके लिए पहले रोप-वे के नीचे जाल बिछाया गया तथा दो जवान बारी बारी से रस्सों की सहायता से रोप-वे की केबिन में पहुंचे और वहां फंसे कार्मिकों को सुरक्षित उतारने के लिए ढांढस बंधाया उसके बाद तीनों को बारी-बारी से सुरक्षित नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद उन्हें सबसे पहले मेडिकल टीम के डॉ. अभिजीत सोनी ने चेकअप किया। करीब पौन घंटे चले इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय वंदना खोरवाल, पुष्कर एसडीओ, सिविल डिफेंस की उपनियंत्रक पदमा देवी, टीम इंचार्ज प्रशांत झा,ए नडीआरएफ के प्रभारी योगेश मीणा, एसडीआरएफ के इंचार्ज बग्गी मीणा, पुष्कर थाने से एस आई छीतरमल, सिविल डिफेंस टीम पुष्कर के प्रभारी किशन गोपाल जाट, सलमान खान, राधेश्याम माली, अमरचंद सांखला, अग्निशमन के सुरेंद्र कुमार मीणा समेत दमकल, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी/ प्रतिनिधि मौजूद रहे।यह मॉकड्रिल समय समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार सुरक्षा जांचने एवं आपदा के समय आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए पूर्व अभ्यास किया जाता है। मॉकड्रिल के कारण गुरुवार की सुबह 08:30 बजे बाद रोप-वे का संचालन बंद कर दिया और मॉकड्रिल अभ्यास के बाद वापिस सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया।

सुरक्षाकर्मियों ने केबिन में फंसे हुए यात्रियों को निकाला।

- **70 जवानों ने रेस्क्यू करके सुरक्षित उतारा, प्रशासन ने मॉक ड्रिल की**

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान मेरी कमर में अचानक दर्द होने लगा। जिस कारण मुझे मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा।
- संजू सैमसन

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, अपनी पीठ दर्द को लेकर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी — रोहित शर्मा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजी और फील्डिंग कोच अभिषेक नायर और टी दिलीप को बर्खास्त करने का फैसला किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 1-3 से गंवा दी थी। सीरीज के बाद और इंग्लैंड दौरे से पहले बीसीसीआई ने नायर और दिलीप को उनके कर्तव्यों से मुक्त करने का फैसला किया है। उनके साथ ही स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई को भी बर्खास्त कर दिया गया है।

क्या आप जानते हैं ?... सबसे प्रसिद्ध रिकॉर्ड सबसे ज्यादा गोल है, जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है, जिन्होंने 807 गोल किए हैं।

रियल मैड्रिड को हराकर आर्सेनल चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में

मैड्रिड, 17 अप्रैल। आर्सेनल एफ सी ने रियल मैड्रिड को हराकर चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को खेले गये मुकाबले में आर्सेनल ने रियल मैड्रिड

2-1 हराया। आर्सेनल की ओर से पहला गोल 65वें मिनट में बुकायो साका ने किया। वहीं उसने दूसरा गोल गेब्रियाल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम में किया। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने 16 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले आर्सेनल ने 2009 चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। आर्सेनल ने पिछले सप्ताह लंदन में खेले गए क्वार्टरफाइनल के पहले चरण में 3-0 से जीत दर्ज की थी और इस तरह से उसने रियाल मैड्रिड को कुल मिलाकर 5-1 से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ रियल मैड्रिड का टूर्नामेंट में अभियान समाप्त हो गया है।

मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को चार विकेट से हराया

मुम्बई, 17 अप्रैल। विल जोक्स (दो विकेट/ 36 रन) और हार्दिक पंड्या (एक विकेट/ नाबाद 21 के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत मुम्बई इंडियंस ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के 33वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को चार विकेट हरा दिया। 163 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुम्बई इंडियंस के लिए रायन रिकलटन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 23 रन जोड़े। चौथे ओवर में पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।रोहित शर्मा ने 16 गेंदों में तीन छक्के लगाते हुए (26)रनों की पारी खेली। आठवें ओवर में हर्षल पटेल ने रायन रिकलटन 23गेंदो में (31) को आउट किया। 13वें ओवर में पैट कमिंस ने सूर्यकुमार यादव को अपना शिकार बनाकर हैदराबाद को तीसरी सफलता दिलाई। सूर्यकुमार यादव ने 15 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए (26) रन बनाये। पैट कमिंस ने विल जॉक्स को आउटकर अपना तीसरा विकेट झटका। विल जॉक्स ने 26 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के लगाते हुए (36) रन बनाये। 18वें ओवर में इशान मलिंगा ने हार्दिक पंड्या और नमन धीर (शून्य) को आउटकर मुम्बई के खेमे में हलचल मचा दी। हार्दिक पंड्या ने नौ गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए (21) रनों की पारी खेली। वहीं तिलक वर्मा 17 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे। मुम्बई इंडियंस ने 18.1 ओवरों में छह विकेट पर 166 रन बनाकर मुकाबला चार विकेट से जीत लिया।

नीरज चोपड़ा ने 84.52 मीटर दूर भाला फेंक कर दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड जीता

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत के लिए दो बार ओलंपिक मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में पॉट इनविटेशनल ट्रैक प्रतियोगिता जीतकर अपने सत्र की बेहतरीन शुरुआत की है। नीरज ने बुधवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर प्रतियोगिता में 84.52 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर 6 खिलाड़ियों के बीच चले मुकाबले में टॉप स्थान हासिल किया। भारतीय स्टार नीरज दक्षिण अफ्रीका के 25 वर्षीय डौव स्मिट से आगे रहे, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 82.44 मीटर का था। नीरज का प्रदर्शन हालांकि, उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर से कम था, जबकि स्मिट अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 83.29 मीटर के करीब पहुंच गए। इस प्रतियोगिता में सिर्फ दो खिलाड़ियों नीरज और स्मिट ने ही 80 मीटर की दूरी की।

सौरव कोठारी ने विश्व बिलियड्र्स खिताब जीता

कोलकाता, 17 अप्रैल। कोलकाता के सौरव कोठारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईबीएसएफ विश्व बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आयरलैंड के कार्लो में खेले गये फाइनल मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी और दिग्गज बिलियड्र्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को 725-480 से हराकर विश्व बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया।

कार्यालय, सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर

No. 536/RMRS/JLN/Ajmer/2025 Dated: 8/4/25

ई-निविदा (UBN No...MCA2526GLRC00007)

इस चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग में आने वाले आयुशमान स्वास्थय बीमा योजना के तहत् एवं अन्य योजना के अन्र्तगत भर्ती मरीजों एवं अन्य रोगियों हेतु आर्थोपेडिक इम्प्लांटस (THR & TKR) आईटम संख्या 01 से 15 तक के उपापन बाबत् ई- निविदा के माध्यम से मूल निर्माताओं, अधिकृत विक्रेताओं से ई-प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया के तहत् 02 वर्ष (2025-27) के लिये रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑनलाईन ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

1.	Estimated Cost	Rs. 160.00 Lakh
2.	Tender Fees	Rs. 5000/-
3.	RISL Processing Fees	Rs. 2000/-
4.	Earnest Money	Rs. 3.20 Lakh
5.	Document Download Start Date and Time	09-04-2025 From 11:00 AM to 01-05-2025 up to 02:00 PM
6.	Pre Bid Meeting Date & Venue	16-04-2025 at 12:00 AM Office of Member Secretary, JLN Hospital, Ajmer. (Roon No.88)
7.	Document Upload Start Date and Time	17-04-25 From 12:00 AM to 01-05-2025 upto 02:00 PM
8.	Physical Tender Fees, Processing Fees & Earnest Money Submission date & time & Venue	01-05-2025 Up to 03.00 PM Office of Member Secretary, JLN Hospital, Ajmer. (Administrative Building)
9.	Technical Bid Opening Date	02-05-2025. at 3.00 PM

निविदायें खोलने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी। अपूर्ण रूप से भरी हुई निविदायें एवं सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं होगी।

DIPR/C/5011/2025 सदस्य सचिव

प्रियंका हॉस्पिटल डीपीटीएल सीजन 5 का खेल मंत्री डॉ. राज्यवर्द्धन राठौड़ ने किया शुभारंभ

जयपुर, 17 अप्रैल। प्रियंका हॉस्पिटल डीपीटीएल सीज़न 5 का आज जय क्लब में शुभारंभ हुआ। लीग पैट्रन डॉ संदीप निझावन ने बताया कि लीग का शुभारम्भ राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवद्धर्न सिंह राठौड़ ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रियंका हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ जी एल शर्मा ने की। जय क्लब के अध्यक्ष रामशरण गुप्ता जय क्लब के सचिव मनोज दासोत गेस्ट ऑफ़ ऑनर थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रियंका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ पीयूष जोशी, डॉ आशा शर्मा व जय क्लब के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी संजय अजमेरा थे।लीग चेयरमैन डॉ जयंत सेन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया व प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 16 सीनियर व 5 जूनियर टीम भाग ले रही है जिसमें राजस्थान ,अन्य राज्य व विदेश से खिलाड़ी भाग ले रहे है । लीग आयोजन सचिव डॉ अनिल यादव ने बताया कि मुख्य अतिथि खेल मंत्री राठौड ने अपने उदबोधन में चिकित्सकों की इस तरह कि प्रतियोगिताओं की आवश्कता बताई व इस प्रतियोगिता के लिए बधाई व शुभकामनाएँ प्रदान की । उन्होंने कहा कि हारने से डरना या परेशान नहीं होना होता है बल्कि सीखना व बेहतर प्रयास करना होता है।

भुवन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत नारायणा क्रिकेट एकेडमी 6 विकेट से विजयी

जयपुर, 17 अप्रैल। यूनियन क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 27वीं नवीन-नफीस स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में आज नारायणा क्रिकेट ग्राउण्ड सिरसी ग्राम, पर खेले गये पूल-डी के मैच में भुवन 3.5 ओवर में 8 रन पर 3 विकेट, राजवीर सिंह 19 रन पर 2 विकेट तथा महेश अधिकारी 46 रन की मदद से नारायणा क्रिकेट एकेडमी ने स्टार क्रिकेट एकेडमी को 6 विकेट से हराकर 2 अंक अर्जित किये। टॉस जीतकर स्टार क्रिकेट एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुये वरूण गुप्ता 55 रन रित्विक चांवला 20 रन को छोड़कर कोई बल्लेबाज नारायणा क्रिकेट एकेडमी को गेंदबाजो भुवन 8 रन पर 3 विकेट, राजवीर सिंह 19 रन पर 2 विकेट तथा सुरेश, रोहित चौधरी व साकेत शर्मा प्रत्येक 1-1 विकेट की गेंदबाजी के समक्ष कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक सका और पुरी टीम 18.5 ओवर में 107 रन पर सिमट गई।

स्टार क्रिकेट एकेडमी ने कौशिक क्रिकेट एकेडमी को हराया

जयपुर, 17 अप्रैल। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अनुराग मिश्रा स्मृति बी डिवीजन लीग में आज पूल बी के मैच में स्टार क्रिकेट एकेडमी ने कौशिक क्रिकेट एकेडमी को 3 विकेट से हराया। आज प्रातः अरावली ग्राउंड पर कौशिक क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वरुण के 42 रन, प्रथम मिश्रा के 37 रन, अमनदीप के 20 रन, सैफ नकवी के 19 रन, अमन पारीक के 15 रनों से 46 ओवर में 171 रन बनाए। स्टार क्रिकेट एकेडमी के लिए हिमांक झालानी ने 23 पर 3, हर्ष शर्मा ने 35 पर 2, आदित्य सराफ ने 35 पर 2, पवन चावला व अनिकेत ने एक - एक विकेट लिया। जवाबी पारी में स्टार क्रिकेट एकेडमी की टीम ने वरुण गुप्ता के 51, ऋतिक सारण के 44 रन, लक्ष्य तुलसियान के 21 रन व सचिन के 26 रन नाबाद से 28.4 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। कौशिक क्रिकेट एकेडमी के लिए हितेश जोशी ने 59 पर 4, अंकित ने 21 पर 2 विकेट लिए।

सुरुचि-सौरभ ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक

लीमा, 17 अप्रैल। भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्वकप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बुधवार को हुई स्पर्धा में सुरुचि और सौरभ ने स्वर्ण पदक के लिए हुए मुकाबले में 8-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए चीन की याओ कियानक्सुन और हू काई की जोड़ी को 17-9 से हराया। उन्होंने पिछले सप्ताह ब्यूनस आयर्स में और मंगलवार को लीमा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा जीत दर्ज की थी। उन्होंने ब्यूनस आयर्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में सौरभ के साथ कांस्य पदक भी जीता था। दूसरी ओर, सौरभ ने भी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर लगभग तीन वर्षों में आईएसएसएफ विश्वकप में अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। इस बीच, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा के कांस्य पदक मैच में मनु भाकर और रविंदर सिंह को चीन के मा कियानके और झांग यिफान की जोड़ी ने 16-6 से हराया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा के क्वालीफिकेशन राउंड में सुरुचि सिंह (291) और सौरभ चौधरी (289) ने कुल 580 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था।

जिंक फुटबाल अकादमी ने एएसएल फुटबाल क्लब को 5-1 से शिकस्त दी

जयपुर, 17 अप्रैल। ब्रदर्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ग्राउंड गाड़ोता और रॉयल फुटबॉल क्लब ग्राउंड व चौगान स्टेडियम जयपुर में मैच खेले गए राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि आज के दिन 5 मैच खेले गए जिसमें सभी टीमों ने उत्कर्ष प्रदर्शन किया। सभी 110 मैचों में सेआज तक 25 मैच खेले जा चुके है।

आज रॉयल फुटबाल क्लब के मैदान में खेले गए

प्रथम मैच :- रॉयल फुटबाल क्लब और सनराइज फुटबाल क्लब के बीच खेला गया रॉयल क्लब ने मैच 1/0 से जीता।

दूसरा मैच रीयल फुटबॉल क्लब और जयपुर एलीट फुटबाल क्लब के बीच खेला गया रोमांच भरे मैच में दोनों ही टीमों ने शानदार खेल खेला पहला हॉफ में दोनों टीमें 0/0 से बराबरी पर रहा दूसरे हॉफ जयपुर एलिट ने आक्रामक खेल खेला 0/4 से सनराइज को शिकस्त दी।

आज ब्रदर्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ग्राउंड गाड़ोता के मैदान में खेले गए मैच

तीसरा मैच में ब्रदर्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और सिटी वाल्स फुटबाल क्लब के बीच खेला गया मैच में ब्रदर्स यूनाइटेड फुटबाल क्लब ने मैच में 3/0 से जीता।

चौथा मैच: राजस्थान राइजिंग फुटबाल क्लब ओर राइजिंग जयपुर फुटबाल क्लब के बीच खेला गया मैच 2/2 से बराबरी पर रहा दोनों टीमों ने शानदार खेल खेला।

पांचवा मैच : ए एस एल फुटबाल क्लब ओर जिंक फुटबाल अकादमी के बीच खेला गया जिंक फुटबाल अकादमी ने मैच 5/1 से होम मैदान में ए एस एल फुटबाल क्लब को पराजीत किया। आगामी फुटबाल लीग के मैच 19 अप्रैल को में खेले जाएंगे।

धोनी-विराट के बाद अब रोहित, वानखेड़े में हिटमैन का हुआ स्वैग से स्वागत

मुंबई, 17अप्रैल। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। आईपीएल 2025 के इस 33वें मैच में मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मुकाबला शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया। रोहित के इस सम्मान का वीडियो आईपीएल के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है।

दौसा में ग्रीष्मकालीन शिविर राजेश पायलट स्टेडियम में 18 से

जयपुर/दौसा, 17 अप्रैल। जिला क्रिकेट संघ द्वारा 18 से 30 अप्रैल तक प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक ग्रीष्मकालीन शिविर राजेश पायलट स्टेडियम में लगाया जा रहा है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृजकिशोर उपाध्याय ने बताया कि इस शिविर में दौसा जिले के ही खिलाड़ी भाग ले सकते है । इस शिविर में आने वाले खिलाड़ियों में से ही आरसीए द्वारा आगामी सत्र में होने वाले टूर्नामेंट जैसे अंडर-14 अंडर- 16, अंडर-19 अंडर-23 और कोल्विन शील्ड जैसे टूर्नामेंट में जिले की टीम बनायी जाएगी। जिले के प्रत्येक खिलाड़ी जो किसी भी फॉर्मेट का हो उनको इस शिविर में आना अनिवार्य है। इस शिविर के अंतर्गत खिलाड़ियों की फिटनेस, क्रिकेट की बारीकियों और योगा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा इस शिविर में कोच मेघराज यादव, वेंकटेश शर्मा, विजय शर्मा, प्रेम सिंह और योगा कोच निर्मल सेन अपनी सेवायें देंगे।

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया

कल राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला

जयपुर, 17 अप्रैल। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 18 का दूसरा मैच 19 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। गुरुवार को लखनऊ की टीम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंची। यहां टीम के खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। इस दौरान टीम के हेड कोच जहीर खान स्टेडियम की पिच को करीब से देखा। वहीं, स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। जयपुर में होने वाला मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस सीजन में जहां लखनऊ सुपरजाइंट्स ने अब तक खेले कुल 7 मैच में से चार मैच में जीत हासिल की है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम 7 मैच में से महज दो मैच में ही जीत हासिल कर पाई है।

इसके बाद पॉइंट टेबल में लखनऊ की टीम 5वें स्थान पर है। वहीं, राजस्थान की टीम फिलहाल पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए शनिवार को जयपुर में होने वाला मैच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी आज दिल्ली से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से जयपुर पहुंच गई है। गुरुवार शाम जयपुर पहुंची टीम एयरपोर्ट से सीधे होटल मैरियट पहुंची है। अब शुक्रवार शाम राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रैक्टिस करने पहुंचेंगे।

दोनों टीमों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपरजाइंट्स के बीच कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं। इनमें चार मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। महज एक मैच लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम जीत पाई है। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर जहां राजस्थान की टीम की बढ़त बनी हुई है। वहीं, मौजूदा सीजन में लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में है।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PHED CIRCLE SAWAI MADHOPUR

(Ph 07462-220062) e-mail - sephed_swm@rediffmail.com

No.SE/PH/SWM/2025-26/NIT/120-131 Date. 07.04.2025

Notice Inviting Tender (e-NIT No. 01-02/2025-26)

On behalf of the Governor of Rajasthan Online Tenders are hereby invited from eligible bidders for following works as per criteria mentioned in the detailed NIT/Tender documents available on website http://eproc.rajasthan.gov.in,"www.rajwater.gov.in", "http://sppp.rajasthan.gov.in. Tenders are to be submitted online in electronic format on website "http://eproc.rajasthan.gov.in" as per prescribed schedule.

NIB	PHE2526A0166
UBN No.	PHE2526WSOB00447, PHE2526WSOB00448

(B.S.Meena) Superintending Engineer PHED Circle Sawai Madhopur

DIPR/C/5018/2025

Superintendent Intellectual Disable Home, Boys Wing, Jamdoli, Jaipur

File No. 10/2025-26/31 Date-07/04/2025

Notice Inviting Bid

Bids for providing care taker services on job basis (24x7) in Intellectual Disable Home, Boys Wing, Jamdoli, Jalpur are invited from interested bidders upto 02 PM date 28-04-2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in of the state; and http://dsap.rajasthan.gov.in departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 13000000. (Rupees one crore thirty lakh only)

UBN No.-DSA2526SLOB00002

Mob. No. 8764054366

DIPR/C/4974/2025 SUPERINTENDENT

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-धौलपुर

कमांकः 58-75 **निविदा सूचना संख्या : 01/2025-26** दिनांकः- 07.04.2024

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों पर बी.टी./सी.सी. निर्माण कार्य (दोष निवारण अवधि 5 वर्ष सहित) उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण बेवसाईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp.raj.nic.in" पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से बेवसाईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है ।

Package No.	NIB NO.	UBN No.
Major Road repair work in Nagar Parishad Dholpur. Pkg No. RJ-13-01/CD-III/8443/ LSGD/2024-25 Under Dn. Dholpur	PWD2526 A0064	PWD2526 WSOB00153

अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त धौलपुर

DIPR/C/4984/2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान

आबकारी भवन, 2-गुानियावाल, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक-F.32(B) (1) (AFTER POLICY -2025-26)EX/L/2025-04359-PART(4)/27

दिनांक-17.04.2025

पडत मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प.4 (1) वित्त/आब/2025 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के द्वारा जारी आबकारी एवं गद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 के प्रावधानानुसार पडत मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के लिये ई-निविदा प्रकिया से वर्ष 2025-26 के बन्दोबस्त करने हेतु निम्नानुसार ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:-

1	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 18.04.2025 दोपहर 3.00 बजे से
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 24.04.2025 दोपहर 3.00 बजे तक
3	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 24.04.2025 को दोपहर 4.00 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय।

ई-निविदा में भाग लेने की शर्ते-

1. यह निविदा वेबसाईट https://www.sppp.rajasthan.gon.in तथा विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gon.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदाएं बेबसाईट https://www.eproc.rajasthan.gon.in पर प्रस्तुत की जानी है। ई-निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में लॉगिन/साइन करने हेतु काम में आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (cca) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है. उन्हें नया सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
2. मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, आरक्षित राशि, अमानत राशि, धरोहर राशि, पंजीकरण शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gon.in पर उपलब्ध रहेगी।
3. ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) का फार्म डाउनलोड करके फार्म के साथ प्रकिया शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि के चालान राजकोष में ऑनलाईन / ऑफलाईन जमा करवाकर चालानों की प्रति अपलोड करनी होगी। इन राशियों के जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निम्नलिखित राशियां उनके सामने उल्लेखित राजकोष मद में जमा करवानी होगी :-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपय में)	राजकोष लेखा मद
1	RISL की प्रक्रिया / पंजीकरण शुल्क	रु. 2000/-	8658-00-102-(16)-01 (सिविल विभाग)
2	आवेदन शुल्क	आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के बिन्दु संख्या 2.6.1 के अनुसार रू. 50,000/- (2 करोड रूपये तक की आरक्षित राशि हेतु रू. 1,00,000/- (2 करोड रूपये से अधिक की आरक्षित राशि हेतु)	0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क)
3	अमानत राशि	निर्धारित आरक्षित राशि का 2 प्रतिशत	8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा)

ई-प्रोक पोर्टल से प्रकिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का बतात जरनेट करते पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा प्रपत्र शुल्क) में राशि रू. एक रूपया जमा करवाकर निदेन शुल्क का चालान पृथक से राजकोष में मद 0039-00-501-01-00 में जम किया जयेगा।

4. आरक्षित राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति के संबंध में राक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होगें।
5. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अधिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-निविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तो, जो विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gon.in पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
6. निधर्धारित समय में थौचित राशियों यथा-धरोहर राशि, अदिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जपाराज की जायेगी।
7. वर्ष 2025-26 के पात्र अनुज्ञाधारियों को क्रमशः वर्ष 2026-27, 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
8. मंदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के बन्दोबस्त हेतु ये ही व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देशर, आबकारी नीति वर्ष 2025-29 तथा प्रारूप अनुज्ञापत्र इत्यादि https://excise.rajasthan.gon.in पर उपलब्ध है, जिनका ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व भली भाँति अध्ययन कर लेना चाहिए। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुका जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
9. ई-निविदा के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।
10. ई-निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला ही रहेगा।

UBN-EXC2526GLOB00013

(शिवप्रसाद नकाते) आबकारी आयुक्त, राजस्थान

DIPR/C/_____/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड 3, जयपुर

क्रमांक :- 85 **ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26** दिनांक-08.04.2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए पीडब्ल्यूएफ एण्ड ए.आर पार्ट ।। अपेण्डिक्स 16 दिनांक 1.07.1999 से लागू एवं समय समय पर पंजीयन नियमो सम्बन्धी वित्त विभाग द्वारा जारी आदि दिनांक संशोधित परिपत्रो के अनुरूप इस विभाग मे उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से मोहरबन्द निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.dipronline.org http://eproc.rajasthan.gov.in/ & www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा आवेदन डाउनलोड करने की तारीख	11.04.2025 (शुक्रवार) प्रातः 9.30 बजे से 21.04.2025 (सोमवार) तक सांय 6.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की तारीख	11.04.2025 (शुक्रवार) प्रातः 9.30 बजे से 21.04.2025 (सोमवार) तक सांय 6.00 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख	22.04.2025 (मंगलवार) को अपरान्ह 03.00 बजे से

NIT S. No	UBN No.	NIT S. No	UBN No.
1	PWD2526WSOB00252	11	PWD2526WSOB00262
2	PWD2526WSOB00253	12	PWD2526WSOB00263
3	PWD2526WSOB00254	13	PWD2526WSOB00264
4	PWD2526WSOB00255	14	PWD2526WSOB00265
5	PWD2526WSOB00256	15	PWD2526WSOB00266
6	PWD2526WSOB00257	16	PWD2526WSOB00267
7	PWD2526WSOB00258	17	PWD2526WSOB00268
8	PWD2526WSOB00259	18	PWD2526WSOB00269
9	PWD2526WSOB00260	19	PWD2526WSOB00270
10	PWD2526WSOB00261		

(पवन कुमार कुलश्रेष्ठ) अधिशाषी अभियन्ता सानिवि नगर खण्ड तृत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोकरण में '' रिन्यू पावर'' कम्पनी के 1.3 ''गीगावॉट पीक'' के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा जैसलमेर में स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी।

पोकरण में 1.3 गीगा वॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को गति मिलेगी-भजनलाल

पोकरण, 17 अप्रैल (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को पोकरण में '' रिन्यू पावर'' कम्पनी के 1.3 ''गीगावॉट पीक'' के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा

- **केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।**

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोलर प्लांट की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से पैदा होने वाली समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सौर तथा पवन ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादित होने का अनुमान है।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार, केन्द्र सरकार द्वारा लगातार ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

इससे पहले, हैलीपेड पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमन्त्री स्वागत किया। इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, विधायक महंत प्रतापपुरी, छोटूसिंह भाटी, ''रिन्यू एनर्जी'' के सीईओ सुमंत सिन्हा व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी उपस्थित थे।

1950 के दशक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल. ए. सी.) पर भारी संख्या में सेना तैनात है। कई दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ताएं केवल धीरे-धीरे तनाव कम करने में सफल रही हैं, जबकि सीमा उल्लंघन की घटनाएं और क्षेत्रीय दावे बंद नहीं हुए हैं।

मुख्य अंतर यह है कि आज का भारत 1950 के दशक की आदर्शवादी सोच जितना भोला नहीं हैं। सन् 1962 के कटु अनुभव और हाल ही में 2020 की गलवान घाटी की खूनी झड़प ने नई दिल्ली को यह सिखा दिया है कि प्रतीकात्मकता एवं सांस्कृतिक पहल तभी सार्थक हैं, जब वे मूलभूत विवादों के समाधान के साथ जुड़ी हों। अब ''एशियाई भाईचारे'' की पुरानी भाषा का स्थान रणनीतिक सतर्कता ने ले लिया है, और भारतीय नीति निर्माता बीजिंग से आने वाले किसी भी कूटनीतिक संकेत को कहीं अधिक व्यवहारिक और सुरक्षा केन्द्रित दृष्टिकोण से देखते हैं।

फिर भी, चीन के दृष्टिकोण से देखें तो यह रणनीति उसी पुरानी सोच का अनुसरण करती लगती है कि जनता की सोच को नरम करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति, जनसंपर्क और आर्थिक प्रलोभनों का उपयोग करो, लेकिन सीमा पर कठोर रूख बरकरार रखो। यह, द्विपक्षीय संबंधों के माहौल को आकार देने, अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को मध्यम करने और स्थिरता के लिए आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास है, लेकिन वास्तविक रियायतें दिए बिना, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

इस अर्थ में, कोई यह तर्क दे सकता है कि यह ''हिंदी-चीनी भाई-भाई'' का आधुनिक लेन-देन वाला संकरण है, जिसमें 1950 के दशक की मासूमियत, आशावाद और आदर्शवाद नहीं है, और दोनों राष्ट्रों को इतिहास और वास्तविक राजनीति ने बहुत कठोर बना दिया है। नारे भले ही फीके पड़ गए हों, लेकिन अनसुलझे विवादों और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को छुपाने के लिए ''सॉफ्ट पावर डिप्लॉमसी'' का उपयोग आज भी जारी है, जो इस जटिल और असहज रिश्ते की पहचान है।

कच्चे मकान में आग लगने से भाई-बहन जिंदा जले

हादसे में झुलसे माँ-बाप चार में से दो बच्चों को ही आग से बाहर निकाल पाये

उदयपुर, 17 अप्रैल। उदयपुर में एक कच्चे मकान में लगी आग से दो नाबालिग जिंदा जल गए। झुलसे मां-बाप चार में से केवल दो ही बच्चों को आग से बाहर निकाल सके।

हादसा इतना दर्दनाक था कि मासूम भाई-बहन कुछ मिनटों ही पूरी तरह जल गए। उनकी बॉडी कोयले जैसी हो गई थी। घटना पाटिया थाना क्षेत्र के छतरी इलाके की बुधवार रात 8 बजे की है।

जानकारी के अनुसार, आग छतरी के रहने वाले प्रभुलाल गमेती (48)के घर पर लगी थी। प्रभुलाल की घर के बाहर ही चाय की दुकान है। सोमवार रात अचानक ही उनके कच्चे मकान में तेजी से आग लग गई। कुछ मिनटों में उनके चारों बच्चे आग में घिर गए। प्रभुलाल अपनी पत्नी पुष्पा (42) के

- **घायल पिता प्रभुलाल की भाभी के अनुसार, मकान की छत पर झोपड़ी व तिरपाल लगा था। पास में बिजली के पोल पर तार टूट कर छत पर गिरा, जिससे घर में आग लग गई।**

साथ घर के अंदर भागे लेकिन दो ही बच्चों को बाहर निकाल सके। दो बच्चे उनकी आंखों के सामने ही आग में जल गए। मां-बाप की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी बच्चों को निकालने की कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हादसे में दो बच्चों, जीनल गमेती (14)और सिद्धार्थ गमेती (8) की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। घायल प्रभुलाल की भाभी गीता बाई ने बताया कि छत पर छोपडी और तिरपाल लगा था। पास में बिजली का पोल है जिसका तार छत पर टूट कर गिर गया। जिसके बाद घर में आग लग गई।

थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि घर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी या पेट्रोल से लगी है, फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों नाबालिगों के शव का गुरुवार को खेरवाडा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौप दिए वहीं मृतक के माता-पिता का इलाज जारी है।

''रॉ'' के पूर्व मुखिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुस्तक की विषयवस्तु को ''निराधार'' तथा ''गलतियों से भरी'' बताया है। फारुक ने कहा, ''अगर वे (दुलत) मुझे अपना मित्र मानते हैं, तो उन्हें यह पुस्तक लिखनी ही नहीं चाहिये थी। उन्होंने रानी एलिजाबेथ की प्रसिद्ध उक्ति को दोहराते

- **पर, बात कुछ बिगड़ सी गई, डॉ. अब्दुल्ला के राजनीतिक प्रतिद्वंदी डॉ. फारुख अब्दुल्ला पर इस मसले पर कई आरोप लगा कर, राजनीतिक लाभ लेने से नहीं चूक रहे हैं।**
- **हार कर अब्दुल्ला को भी कहना पड़ा, कि अगर दुलत साहब मेरे मित्र हैं, तो उन्हें यह किताब नहीं लिखनी चाहिए थी।**

हुये कहा: ''स्मृतियां भिन्न हो सकती हैं।''

डॉ. अब्दुल्ला की बेटी सफिया अब्दुल्ला खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ''एक्स'' पर कहा है: ''दुलत सदैव एक जासूस रहे तथा उनकी निष्ठा केवल स्वयं के प्रति रही। अपनी पहले वाली पुस्तकों में उन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि उन्होंने किस-किस को लपेट लिया है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है तथा उन्होंने बार-बार असत्य से काम लिया है।''

दुलत ने अपनी पुस्तक में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई डॉ. फारुक एवं उमर अब्दुल्ला की मीटिंग का उल्लेख किया है, जो उनके अनुसार, संसद में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक के पारित होने से पहले हुई थी। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रैंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा है, ''ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 में नैशनल कॉन्फ्रैंस की विधानसभा चुनावों में जीत, 2019 में दी गईं उनकी सेवाओं का पुरस्कार था।

महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक, हिंदी पढ़ाई जाएगी

मुंबई, 17 अप्रैल। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ ना अनिवार्य होगा। यह दो भाषाओं के अध्ययन की प्रथा से अलग है। राज्य के राजनीतिक दल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न किया जाए।

कक्षा 1 से 5 के लिए तीन-भाषा फॉर्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का एक हिस्सा है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने, स्कूली शिक्षा के लिए एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम ढ ांचे के चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना घोषित की है।

अब तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेश करने को कहा है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने मामले में भारत सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। जिस पर केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी उपस्थित हुए थे।

जल्द शुरु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यात्रा संचालित करने पर बातचीत हो रही है, प्रवक्ता ने कहा कि जल्दी ही नोटिस आने वाला है और मार्ग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में दोनों देशों के उड्डयन विभागों के बीच तकनीकी बातचीत जारी है और जैसे ही सहमति बनती है, वैसे ही जानकारी साझा की जाएगी।

भारत में चीन के राजदूत द्वारा एक्स पर पोस्ट में 85 हजार भारतीयों को वीज़ा दिये जाने संबंधी दावे के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब संबंध सामान्य बनाने और जनता के बीच संपर्क बढ ाने की बात होगी तो वीज़ा भी बढ़ेगा।

हालांकि उनके पास इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं हैं।

ट्रम्प प्रशासन की ''रैसिप्रोकल'' आक्रामक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए सरकार के लिए राजस्व का संभावित स्रोत बताया। नवारो ने कहा, टैरिफ इस देश के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत बनेंगे, पर हम धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे।''

लेकिन रैसिप्रोकल टैरिफ के प्रति बाज़ार की प्रतिक्रिया काफी तीव्र व क्रूर थी। अमेरिकन शेयर बाज़ार गिर गया। व्यापारिक सहयोगी देशों ने जवाबी धमकियाँ दी। अमेरिका व उसके व्यापारिक मित्रों के बीच बनाव चरम पर पहुँच गया। भारी एवं त्वरित विरोध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों व अपने ही लोगों के दबाव में आ गए और क्रियान्वयन के 13 घंटे में ही उन्होंने नई टैरिफ नीति के क्रियान्वयन को 90 दिन के लिए टाल दिया। यह निर्णय प्रशासन की आर्थिक टीम की आंतरिक खींचतान का प्रतीक बन गया।

अमेरिका के ट्रैजरी सचिव (वित्त मंत्री) स्कॉट बैसैंट व अन्य उदारवादी आर्थिक सलाहकारों ने बार-बार चेतावनी दी थी कि आक्रामक टैरिफ नीति ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा बन सकती है और अमेरिका में महंगाई का संकट गहरा सकता है। लेकिन नवारो, जो कठोर रुख के हिमायती हैं, पर इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वे लगातार आक्रामक रुख पर जोर देते रहे, जबकि इसमें भारी खतरा है।

ट्रंप की ट्रेड नीति पर नवारो की छाप हमेशा विवादास्पद रही है। जहाँ समर्थकों ने स्थापित वैश्विक व्यापार प्रणालियों को चुनौती देने की उनकी तत्परता का समर्थन किया, खासकर बौद्धिक सम्पदा चोरी और जबरन तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दे पर चीन से टकराव के मामले में। लेकिन उनके आलोचकों, खासकर वे जो खुले बाज़ार के समर्थक हैं, ने कहा कि नवारो का यकीन आर्थिक भ्रांतियों से प्रेरित है। उन्होंने कहा, व्यापार घाटा अपने आप में नुकसानदेह नहीं होता और संरक्षणवादी उपाय कीमतें बढ़ा सकते हैं और अमेरिकी निर्यात पर प्रतिकार स्वरूप टैरिफ लग सकता है।

अंत में भले ही टैरिफ नीति को देरी व आतंरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, पर ट्रंप के ट्रेड एजेंडा पर नवारो का गहरा असर कायम है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवादी व्यापार की सजा ट्रंप के कार्यकाल की पहचान रही थी, जिसका अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। आज भी वैश्विक व्यापार के भविष्य और आपस में जुड़ी हुई विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भूमिका पर ट्रंप के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं।

अजमेर दरगाह विवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टाल दी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वागीश कुमार और आशीष कुमार सिंह ने बताया कि अजमेर की निचली अदालत में अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए वाद दायर किया गया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में गत नवंबर माह में सभी अदालतों को आदेश दिए थे कि ऐसे किसी भी मामले में आदेश या कार्रवाई जारी नहीं रखी जाएगी, जिसमें पूजा स्थल या पुरातत्व विभाग से जांच कराने का मुद्दा जुड़ा हो। याचिकाकर्ता की ओर से इस आदेश की जानकारी गत दिसंबर माह में ही संबंधित अदालत को दी गई, लेकिन अदालत ने कार्रवाई नहीं रोकी। इसके बाद पुन: जनवरी माह में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निचली अदालत को अवगत कराया।

इसके बावजूद भी निचली अदालत मामले में कार्रवाई जारी रख रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि पूजा करने के अधिकार के मुद्दे पर सिविल कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है। वहीं दावाकर्ता ने बहुत कम कोर्ट फीस के साथ दावा किया है। इसलिए निचली अदालत को मामले की सुनवाई करने से रोका जाए। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि याचिकाकर्ता दावे में पक्षकार नहीं है, ऐसे में वह हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है।

उपमुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धमकी देने का फोन किया और ना ही उनसे कोई मोबाइल या सिम बरामद हुई। वे अन्य आरोपियों से संपर्क में भी नहीं थे, उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र भी नहीं रचा है, प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इसके विरोध में लोक अभियोजक लियाकत अली ने कहा कि आरोपियों ने संगठित अपराध कर प्रदेश के डिप्टी सीएम को मारने की धमकी दी है। जांच में आया है कि जुनैद ने स्वयं के नाम से सिम खरीदकर मोहम्मद अशरफ के साथ मिलकर केन्द्रीय कारागृह में बंद कैदी को सिम मुहैया कराई और अन्य आरोपियों ने इस सिम का उपयोग किया।दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल करने तथा विवादास्पद वक्फ भूमि की स्थिति बदलने के लिए कलैक्टर को दिए गए अधिकारों से संबंधित है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को कहा कि, प्रारंभिक रूप से या कुछ खास भागों को पढ़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोक लगाना अनुचित होगा।

उन्होंने कहा, हम आपको कानून के इतिहास में ले चलते है। लगभग 100 साल पहले 1923 में यह कानून बना या फिर 1935 में फिर 1954 में बना, उसके बाद 1987 में संशोधन हुआ। फिर 1995 में एक समिति का सुझाव आया और संशोधन हुआ। इसी बीच हम सरकार व संसद के रूप में जनता के प्रति जवाब देह है। हमें लाखों लोगों ने अपने सुझाव, जिनके आधार पर कुछ प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए गाँव के गाँव वक्फ के रूप में ले लिए गए हैं। लोगों की प्राइवेट सम्पत्ति भी वक्फ के रूप में ले ली गई है और जब ये मुद्दे हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा ये विवादास्पद सवाल है, इस पर कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह ऐसा मामला है जिसके कोर्ट को सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों को जमीन पर व सम्पत्ति पर उनके अधिकार को प्रभावित करेगा।

जब जस्टिस संजय कुमार ने कहा, कोर्ट अभी निर्णय नहीं ले रहा तो मेहता ने कहा, लेकिन आप बहुत गंभीर और कठोर कदम उठा रहे है आंशिक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्टे लगाकर।

मेहता ने कहा, मेरा निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह दिया जाए। मैं वादा करता हूँ, एक सप्ताह के भीतर मैं कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दूँगा। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह के विचार किया जा सके।

सीजेआई खन्ना ने कहा, ''हो सकता है, कुछ विसंगतियाँ हो, पर हमने कहा है कि कुछ सकारात्मक बातें हैं मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी ने कहा था कि पूर्ण रोक लगाई जाए। हमने कब नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे है। पर इसी के साथ हम नहीं चाहते है कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो। हम नहीं चाहते कि अभी जो स्थिति है, उसमें इतना बदलाव कर दिया जाए कि उसका प्रभाव भारी पड़े।

इसमें कुछ प्रावधान है जैसे वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है। हम इस पर स्टे नहीं लगा रहे है।

आप का कहना सही है कि कोर्ट का मुख्य नियम है कि वे किसी भी कानून पर प्रारंभिक अवस्था में रोक नहीं लगा सकते है। पर एक अन्य नियम यह भी है कि कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो यथास्थिति बनी रहनी चाहिए।

मेहता ने फिर कोर्ट को ''वक्फ बाय यूज़र'' के प्रावधान पर और वक्फ बोर्ड व काउन्सिल्स में नियुक्तियों के संबंध में भरोसा दिलाया।

गुरुवार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वास्तविक बॉस हैं तथा वे ही यह निर्णय लेते हैं कि कौन सी एजेंसी किस नेता के पीछे पड़ेगी।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908